प्रारंभिक बाल देखरेख, विकास और मातृत्व हक

एक परिचय

शीर्षक

प्रारंभिक बाल देखरेख, विकास और मातृत्व हक (एक परिचय)

लेखन

सचिन कुमार जैन

मार्गदर्शन

देविका सिंह, सुदेशना सेनगुप्ता, मदन लाल, एस. शुभिका, राधा पाण्डे, डॉ. शीला भम्बल और अलायंस फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट सचिवालय के साथी

संपादन

राकेश कुमार मालवीय

समीक्षा

फरहत नशीं सिद्दीकी, गुरु शरण सचदेव, दीपा सिन्हा

प्रकाशक

विकास संवाद [प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के अधिकार के लिए साझा मंच (अलायंस फॉर राइट टू अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड डेवलपमेंट) के लिए]

वर्ष

2015

संपर्क

- विकास संवाद
  ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
  दूरभाष : 0755-4252789, ईमेल - vikassamvad@gmail.com
- सचिवालय (मोबाइल क्रेचेस), प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के लिए साझा मंच, डीआईजेड ए**रिया,**
  राजा बाज़ार, सेक्टर-4, नई दिल्ली. दूरभाष : 011-233476358

चित्रांकन / डिजाइन

शिरीष श्रीवास्तव और ब्रज पाटिल / अमित सक्सेना

टाइप सेटिंग

मनोज गुप्ता

आर्थिक सहयोग

चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राय) और पोषण

भूमिका

पिछले चार दशक में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के विषय पर एक लंबी बहस और संघर्ष की कहानी लिखी जा चुकी है। सन्दर्भ बहुत स्पष्ट है। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की जनसंख्या में से 16 प्रतिशत की उम्र 0 से 6 साल के बीच है। इनकी संख्या 15.87 करोड़ है। दुनिया में शिशु और बाल मृत्यु, कुपोषण, प्रारंभिक-स्कूल-पूर्व शिक्षा के मानकों के आधार पर हम खुद पर गर्व नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद इस उम्र के नागरिकों, यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास का संवैधानिक-कानूनी हक नहीं दिया गया है। योजनाएं बनी हैं, नीतियां भी बनी हैं, कार्य योजनाएं भी बनी हैं; किन्तु प्रतिबद्धता का अभाव रहा। वर्ष 2013 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा नीति' बनायी। नीति को बच्चों के व्यापक और बहु-आयामी विकास पर केंन्द्रित न रखते हुए केवल 'शिक्षा' तक ही सीमित रखा गया। इस दौर में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के अधिकार पर स्वैच्छिक संस्थाओं-व्यक्तियों-विशेषज्ञों का साझा मंच (अलायंस फॉर राईट टू ईसीडी) बना।

बच्चों के अधिकारों की बहस के बीच 27 अगस्त 2015 को भारत के राष्ट्रीय विधि आयोग ने 'प्रारंभिक बाल विकास और कानूनी हक'* के शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी। इस रिपोर्ट में आयोग ने लिखा है कि 'छोटे बच्चों के विकास को अब तेजी से विकास और मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के रूप में मान्यता मिलने लगी है। हालाँकि इस मुद्दे पर सरकार की कार्यवाहियां अब तक बहुत धीमी रही हैं। जीवन की यह आयु - जन्म से छह वर्ष तक की उम्र 'अवसरों की खिड़की' है, यदि बच्चे को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण मिलता है, तब बच्चे के मस्तिष्क का पूरी क्षमता के साथ विकास होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन यदि बच्चे को उसके अपने लिए बेहतर वातावरण नहीं मिलता है तो वह वंचितपन या भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करता है, उसके मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है और 'अवसरों की खिड़की' फिर कभी न खुलने के लिए बंद हो जाती है। ऐसे में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास (ईसीडी) की एक सही अवधारणा में छोटे बच्चों की सजग देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर प्रयासों के साथ-साथ सक्षम और सुरक्षित वातावरण में मनो-सामाजिक विकास, खेलने और सीखने के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था शामिल है। आयोग का विचार है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संवैधानिक ढाँचे में छह साल से कम उम्र के बच्चों की विशेष स्थिति और जरूरतों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही आयोग मानता है कि बच्चों के पक्ष में अधिकारों को कानूनी रूप और मौजूदा नीतियों और योजनाओं को वैधानिक आधार दिया जाना चाहिए।

हम सब मानते हैं कि गर्भ में आने से लेकर छह वर्ष तक की उम्र का होने तक बच्चों की स्थिति और जरूरतों के मुताबिक उनके अधिकारों को स्वीकार्यता और संवैधानिक-वैधानिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। जीवन के इस दौर में सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यदि तब बच्चों को सही देखरेख, पोषण, स्वास्थ्य व्यवहार, सीखने-खेलने के अवसर, सुरक्षा और संवेदनशील व्यवहार का अधिकार नहीं मिलता है, तो उनका विकास बहुत गहरे तक प्रभावित होता है। इसके साथ ही हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के व्यापक और बहु-पक्षीय मातृत्व हकों को भी कानूनी स्वरूप मिलना जरूरी है ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। यह भी याद रखना होगा कि मातृत्व हकों के बिना छोटे बच्चों के अधिकार पूरे नहीं हो सकते हैं। इस सोच के साथ भारत के अलग-अलग हिस्सों में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास-मातृत्व हकों को पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं कोशिशों के बीच यह विचार आया कि इस विषय से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं

को थोड़ी सरलता से समझने के लिए एक प्रवेशिका बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

यह प्रवेशिका सवाल–जवाब के रूप में विषय से सम्बंधित बुनियादी पहलुओं के बारे में समझ को साझा करने की कोशिश करती है। इसमें प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास एवं मातृत्व हकों की अवधारणा, उसके पहलुओं, महत्व के बारे में भी चर्चा है और भारत में इन विषयों पर हुई बहसों, नीतियों और कानून की स्थिति के बारे में भी। इस पुस्तिका को बनाने के तीन मकसद हैं –

पहला – हम सब यह जान सकें कि प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास (अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट – ईसीडी) की बात का मतलब क्या है और यह बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसके मायने – अर्थ क्या हैं? और इसमें कौन–कौन से पक्ष शामिल हैं? साथ ही यह भी चर्चा की गयी है कि बच्चों की वृद्धि और विकास के मायने क्या हैं? हमने मातृत्व हकों को भी इसका एक अहम् पहलू माना है।

दूसरा – इसमें परिवार–समाज और सरकार की पहल के मायने क्या हैं?

तीसरा – इस सन्दर्भ में मौजूदा कार्यक्रम, नीतियों, कानूनी व्यवस्था की स्थिति क्या है?

हम चाहते हैं कि देश में महिलाओं और बच्चों के हकों को संरक्षण देने के लिए प्रारंभिक बाल देखरेख, विकास और महिलाओं के मातृत्व हकों पर एक समग्र और अधिकार आधारित कानूनी व्यवस्था बनाने की पहल हो; अब हमें नीतियों से आगे बढ़कर जवाबदेहिता और इसमें राज्य की बाध्यता स्थापित करने के लिए कोशिश करनी होगी। हमें यह उम्मीद है कि बच्चों के अधिकारों, खास तौर पर प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास से जुड़े आयामों पर काम करने वाले या रूचि रखने वाले लोगों और संस्थाओं को यह दस्तावेज उपयोगी लगेगा। यदि नहीं लगता, तो यह हमारी कमी होगी। इसके बारे में आप अपने सुझाव और विचारों से हमें जरूर अवगत करवाएं, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके।

वास्तव में यह दस्तावेज हम सबके लिए कुछ नया सीखने का जरिया भी बना। इस प्रवेशिका को बनाने में देविका सिंह, सुदेशना सेनगुप्ता, मदन लाल, एस. शुभिका, राधा पाण्डे, डॉ. शीला भम्बल ने मदद की है। हमारे साथी राकेश कुमार मालवीय ने इसका संपादन किया। इससे यह प्रवेशिका इस रूप में आ पायी है। इस प्रवेशिका को तैयार करने के लिए चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राय) और पोषण ने सहयोग दिया है।

*राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट – अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड लीगल एंटाइटलमेंट्स के हिस्सों का अनुवाद

पुस्तिका का स्वरूप

1. प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – अर्थ और उसके पहलू 01
2. प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – किनके लिए और क्यों जरूरी है ? 07
3. प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – दूसरे पहलुओं से सम्बन्ध 23
   - बच्चों का जीवन और स्वास्थ्य 24
   - टीकाकरण 26
   - महिलाओं के काम की पहचान और मातृत्व हक 28
   - परिवार और राज्य की भूमिका 31
4. बच्चों की वृद्धि और विकास – अर्थ और आयाम 33
5. प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – मौजूदा राज्य व्यवस्था और अनुभव 53
6. राज्य की भूमिका, जिम्मेदारी, नीतियां और कानून – अधिकार आधारित नजरिया 61
   - संविधान के नज़रिए से हक 63
   - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 64
   - संयुक्त राष्ट्र संघ 65
   - सरकार की भूमिका 67
   - प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – कानून, योजनाएं और नीतियां 69

छोटी हैं आँखें
पर देखती हैं सब कुछ
आसमान का नीलापन
और हमारी आँखों में छिपे इरादे,

छोटी हैं उँगलियाँ पर
मुट्ठी बनाना जानती हैं,
दिल नाज़ुक है
भंगुर नहीं,

कदम न बढ़ा सकें जो पैर
जीने की जिजीविषा से फिर भी भरे हैं,

ज़ुबां सुनम्य है
पर वक्त पे इत्तला करती है,

भ्रूण निष्प्राण नहीं होता है
चूक हमारी हरती है उनके प्राण,

कभी सोचना नवजात के पैर
आसमान की तरफ क्यों होते हैं,

कभी सोचना हम जिजीविषा को
निष्प्राण तो नहीं बना रहे हैं
उन्हें जानकर भी अपरिचित रह कर!

अध्याय 1

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास

अर्थ और उसके पहलू

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास का मतलब क्या है ?

इस वाक्य में चार शब्दों का इस्तेमाल हुआ है – **बाल, प्रारंभिक, देखरेख और विकास**।

यहाँ **बाल** से आशय गर्भस्थ भ्रूण से लेकर (यानी गर्भ में बच्चे के होने से लेकर) जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक है। जब हम बच्चों के प्रारंभिक विकास की चर्चा करते हैं, तब बच्चे के गर्भ में आने से लेकर छ: वर्ष की उम्र तक की अवधि को ध्यान में रख जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों से पता चलता है कि एक व्यक्ति के जीवन में उसके मानसिक और शारीरिक विकास का जो सबसे ऊँचा स्तर पांच वर्ष की उम्र तक पड़ जाता है। मस्तिष्क का 90 प्रतिशत विकास पहले 5 साल में ही हो जाता है।

प्रारंभिक देखरेख का मतलब है बच्चे की उम्र और जरूरत के हिसाब से जीवन के शुरुआती 6 सालों में उसकी देखभाल करना। जैसे – उसे प्यार मिलना, किसी आघात, चोट, शोषण और संभावित दुर्घटना से उसका बचाव करना। कामकाजी परिवार (खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के सन्दर्भ में) के बच्चों की उपेक्षा को खत्म करना और उन्हें सम्मानजनक संस्थागत सेवाएं उपलब्ध करवाना। बीमारी से बचाव करना, इलाज करवाना, टीकाकरण, माँ का दूध मिलना, भेदभाव न होना, उनके साथ खेलना, संवाद करना और पोषण युक्त भोजन का अधिकार सुनिश्चित होना। इसे स्पष्ट रूप में ऐसे समझा जा सकता है –

1. बच्चों की अहम जरूरतें (जैसे – संरक्षण, स्वास्थ्य, सीखना, पोषण, देखरेख आदि)।
2. ये बुनियादी जरूरतें राज्य के द्वारा पूरी किये जाने की व्यवस्था बनना चाहिए (जैसे स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छता, पोषण और बच्चों के देखरेख के लिए ठोस नीतियां और कार्यक्रम चलाना)।
3. बुनियादी सिद्धांत के रूप में यह जरूरी है कि बच्चों के सही प्रारंभिक विकास के लिए परिवार और बच्चों की देखरेख की सेवा देने वाले समूह/संस्था संवेदनशीलता, स्नेह, संवाद का वातावरण का निर्माण करें।

अपराध हुआ पर अपराधी कौन ?

10 जून 2014 को मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल के हर्रई में पवन कोरकू (4 साल) और दुर्गेश कोरकू (6 साल) खेल-खेल में अपने खिलौने लेकर घर में ही रखे लोहे के ड्रम में उतर गए। इस दौरान धक्का लगा और ड्रम का ढक्कन बंद हो गया।

इन बच्चों के पिता भीम कोरकू सुबह मजदूरी करने के लिए चले गए थे, जबकि माँ घर के लिए सामान लेने के लिए बाज़ार गई थी। 4-5 घंटे बाद जब माँ काम निपटा कर लौटी तो उन्होंने बच्चों को खोजा, पर बच्चे दिखे नहीं। इस बीच भीम कोरकू भी काम से लौट आये। बच्चों की खोजबीन करते-करते जब उन्होंने ड्रम का ढक्कन खोला तो उसमें पवन और दुर्गेश नहीं थे, वहाँ उनके शव थे। दम घुटने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पवन का नाम आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज था, पर चूंकि यह केंद्र कुछ देर ही चलता है, इसलिए वह उस वक्त बिना किसी संरक्षण में अपने घर पर था। अपराध हुआ, पर अपराधी कोई नहीं था!

बच्चे के **विकास** की बात को बहुत गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है क्योंकि इस उम्र में सबसे ज्यादा विकास होता है, बच्चे के भविष्य की नींव पड़ती है परन्तु ये बच्चे अपनी जरूरत को उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम और आप करते हैं। यदि उन्हें कोई तकलीफ है या उन्हें भूख लगी है तो वे अपनी भाषा में ही अपनी जरूरत को बताते हैं; इसलिए उनकी भाषा को समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है।

यदि जीवन के इन वर्षों में बच्चे को जरूरी पोषण, देखरेख, प्यार मिलता है, तो वह एक ज्यादा बेहतर व्यक्ति भी बनता है।

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास एक मकसद है !

ये शब्द संकेत देते हैं कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास एक व्यापक सोच है। हमारी जिम्मेदारी बच्चों को केवल स्कूल भेजने के लिए तैयार करने तक सीमित नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि वे मानव विकास के हर मानक आयाम को पा सकें। हम मानते हैं कि छः वर्ष तक के बच्चों के लिए इस सोच के मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इसमें सबसे अहम् भूमिका बच्चों के परिजनों की है इसीलिए समाज के स्तर पर बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के सन्दर्भ में बहुत काम किये जाने की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि हमारी हर कोशिश एक खास समुदाय और सांस्कृतिक वातावरण में होती है। किन्ही समुदायों में कन्या भ्रूण हत्या का व्यवहार चलन में है, तो किसी समाज में लड़कियों का अपना सम्मान भी है; यानी अलग-अलग सन्दर्भों में यह पहल अलग-अलग रूपों में होगी, पर मकसद एक ही होगा !

सुरक्षा और संरक्षण भी इस काम का अहम् हिस्सा हैं।

यह विषय हमें समझने में मदद करता है कि देखभाल, देखरेख और परवरिश की जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील है, लेकिन हमारे पितृसत्तात्मक समाज में इसे कम महत्व का काम माना जाता है। वास्तव में यह एक बहुत ही कौशल, समझ, संयम और धैर्य का काम है। यह काम महिलायें करती हैं, ज्यादातर अपने ही घर में करती हैं, इसलिए भी कभी इस काम का मूल्यांकन नहीं हुआ और शोषण का बड़ा हिस्सा बना जो सामान्यतः हमें दिखाई भी नहीं देता।

असुरक्षित बचपन

वर्ष 1992 में आगरा के एस.एन. अस्पताल में एक अध्ययन से पता चला कि एक साल की अवधि में भर्ती हुए 5031 बच्चों में से 716 बच्चे दुर्घटनाओं के कारण यहाँ लाए गए। इनमें भी सबसे बड़ी संख्या 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों की थी। 44.4 प्रतिशत बच्चे गिरने के कारण घायल हुए थे। 82 बच्चे जलने के कारण घायल हुए थे और 45 बच्चों ने घर में ही विषैली सामग्री का सेवन कर लिया था। इन दुर्घटनाओं (48.9 प्रतिशत) का समय दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच का पाया गया। बच्चे सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई दुर्घटना न हो, ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार ढांचा, ताना-बाना और नीतिगत व्यवस्था होना जरूरी है। यानी देखभाल बच्चों को ज्यादा सुरक्षित बना सकती है।

क्या यह नर्सरी स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तक सीमित बात है ?

नहीं, यह एक व्यापक बात है! अक्सर जब बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास की बात की जाती है तो नर्सरी स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तक बात सिमट जाती है। वास्तव में ये संस्थाएं बच्चों के विकास के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर हमारा कोई भी कार्यक्रम केवल इन संस्थाओं तक सीमित नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह भी है कि समुदाय के बीच यह विषय स्थापित करना, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

छोटे बच्चों का विकास चार दीवारों से बने स्कूल या केंद्र में नहीं हो सकता है। वे देखकर, सुनकर, संरक्षण पाकर और दुलार पाकर सीखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखने और टहलने का स्थान मिले। वे अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए आसपास के वातावरण में सुगंध, रंग, प्रेम और सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। हमें यह याद रखना होगा कि समाज और संस्थाओं में बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी वयस्कों की होनी चाहिए। समुदाय और बाल देखरेख केंद्र, दोनों ही जगहों पर बुनियादी सुविधाएँ – पानी, स्वच्छता, सुरक्षा, खेलने की सामग्री आदि उपलब्ध होना चाहिए।

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण नीतिगत और कानूनी पहल का मतलब क्या है?

बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण नीतिगत और कानूनी पहल का मतलब है सरकार द्वारा समाज की सहभागिता के साथ ऐसे कार्यक्रम चलाना जो बच्चों को किसी तरह के आघातों और शोषण से मुक्त रखते हुए पोषण, देखरेख और सम्मान के साथ बच्चों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करें। बच्चों को खुद के महत्व, अपनी पहचान, उत्साह और अवसरों को महसूस करने के लिए तैयार करें।

सभी बच्चों को कुछ खोजने, तलाशने, संवाद करने, पर्यावरण से जुड़ने और कुछ रचने के लिए मौके उपलब्ध करवाएं। जब हम नीति और कानून की बात करते हैं तब एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राजीव गांधी क्रेच योजना से लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और वन अधिकार कानून तक का उल्लेख जरूरी हो जाता है। वास्तव में लोगों के आजीविका और रोजगार के हक से बच्चों की देखरेख और मातृत्व हकों का सीधा जुड़ाव है।

दुर्घटनाएं और बच्चे

बच्चों की सुरक्षा के लिए भी प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास से सम्बंधित दृष्टिकोण को महसूस करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2007 बुलेटिन के मुताबिक बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र और पाकिस्तान में किये गए एक अध्ययन से पता चला कि 3 से 4 महीने के दौरान दुर्घटना के 1559 प्रकरणों में से 941 की उम्र 5 वर्ष से कम थी। बच्चों के साथ 982 (63 प्रतिशत) घटनाएं तब हुईं, जब वे घर में थे, पर वे किसी के संरक्षण में नहीं थे।

बच्चों के सही विकास और संरक्षण के लिए देखरेख का मतलब क्या है ?

जब हम परिवार या संस्था (प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र या आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था) में बच्चों की देखभाल की बात करते हैं, तो इसके चार मुख्य हिस्से देखे जा सकते हैं–

मौजूदगी – छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सदैव किसी न किसी व्यक्ति/देखभाल करने वाले की मौजूदगी होना ताकि वह सुरक्षा, प्रेम और आनंद को महसूस कर सके।

रिश्ता – बच्चे और देखभाल करने वाले के बीच आपसी सम्बन्ध होना, ताकि वह विश्वास कर सके कि उसका कोई गहरा रिश्ता देखभाल करने वाले के साथ है।

देखभाल की गतिविधियां – छोटे बच्चों के देखभाल में उसकी दैनिक गतिविधियां शामिल हैं; जैसे शौच करवाना, उन्हें सुलाना, नहलाना, भोजन करवाना, उनके साथ खेलना, बातें करना आदि। देखभाल की गतिविधियां सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए।

भूमिकाएं स्पष्ट होना – पारिवारिक वातावरण का बच्चों और महिलाओं के अनुकूल होना। सरकार को कानूनी पहल करते हुए ढांचागत व्यवस्थाएं करना।

यहाँ लिखे गए बिंदुओं के अर्थ आप बताएं		
बच्चे	**किशोर अवस्था**	**गर्भवती और धात्री महिलाएं**
• जन्म के बाद एक घंटे में स्तनपान • जन्म के बाद छह माह तक केवल माँ का दूध • छह माह का होते ही सही ऊपरी आहार • स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं • आघातों–शोषण से संरक्षण • खेलना–सीखना–आराम • वृद्धि निगरानी और स्कूल पूर्व शिक्षा • देखरेख की प्रशिक्षित व्यवस्था • प्रारंभिक देखरेख और विकास केंद्र की स्थापना	• उनकी खास जरूरतों की पहचान • उनके व्यक्तित्व को सम्मान • पोषणयुक्त भोजन का अधिकार • स्वास्थ्य–परिवार शिक्षा–परामर्श • गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा • कम उम्र में विवाह से मुक्ति • प्रजनन के सन्दर्भ में सोच–समझ कर निर्णय लेने का समान अधिकार	• कम उम्र में गर्भवती होने के दबाव से मुक्ति • प्रजनन के सन्दर्भ में सोच–समझ कर निर्णय लेने का समान अधिकार • गर्भवती–धात्री अवस्था में मातृत्व हक (नौ माह के वेतन के साथ अवकाश) • आराम, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पूरा पोषण • बच्चों को स्तनपान करने के लिए सम्मानजनक व्यवस्था • बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख और विकास केंद्र की स्थापना

अध्याय 2

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास

किनके लिए और क्यों जरूरी है?

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास का विषय महत्वपूर्ण क्यों हैं ?

भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या 15.87 करोड़ है। इनमें से लगभग 7.57 करोड़ बच्चे (48 प्रतिशत) ही एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आंगनवाड़ी) में दर्ज हैं। हमारे यहाँ आज भी हर 10 में से चार बच्चे कम वजन के हैं।

कई कारणों से संयुक्त परिवार अब एकल परिवार हो गए हैं, जिससे बच्चों की सही देखरेख और उनका विकास प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों में छह साल से कम उम्र के बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार आधारित कानून और कार्यक्रम बनाना और चलाना बहुत जरूरी हो गया है।

हमारे समाज में जिस तरह की सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है, उसका ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। खासकर भारत जैसे देशों में जहां ज्यादातर बच्चे अति-गरीबी की अवस्था में रहते हैं (रोबर्ट जी मेयर्स)। वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से असुरक्षा बहुत बढ़ी है।

पलायन, विस्थापन, अपने परिवार से दूर हो जाना, संयुक्त परिवार से एकल परिवार होना, श्रम का न्यायोचित बंटवारा न होने के कारण लड़कियों और महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ना, वैश्वीकरण स्थानीय और नियोजित अर्थव्यवस्था से सब कुछ बाजार केंद्रित होना, सशस्त्र टकराव, गंभीर रोगों (एचआईवी/एड्स) की स्थितियों ने असुरक्षा को बढ़ाया है (केरोलिन अर्नाल्ड)।

एक तरफ तो 5 साल से कम उम्र में होने वाला विकास सबसे तेज भी है और सबसे ज्यादा भी; परन्तु इस विषय पर हमारे यहां एक व्यापक सोच का अभाव रहा है। इन पांच सालों में बच्चे के दिमाग का 90 प्रतिशत विकास हो जाता है। हमें अभी भी एक व्यापक अधिकार आधारित कानूनी पहल की दरकार है, जो बच्चों की देखरेख और सुरक्षा, विकास और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित कर सके।

बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के नज़रिए से सरकार के भीतर अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय-सामंजस्य होना जरूरी है। भारत में एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत दिए जाने वाले पोषण आहार को ही बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया, जिससे बच्चों के समग्र विकास के अवसर बहुत सीमित हो गए। इसके लिए स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, कृषि, स्कूल, शिक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास, वित्त विभागों (क्योंकि इनके दायित्वों से हर बच्चे का जीवन जुड़ा हुआ है) के बीच सक्रिय और जिम्मेदारी से भरा समन्वय होना बहुत जरूरी है, पर वह समन्वय अभी है ही नहीं।

जरा मुख्य पहलुओं के बारे में बात तो करें !

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकताएं और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
जन्म के पहले	मातृत्व स्वास्थ्य	1. गर्भवती महिला को आठ घंटे की नींद और दिन में 2 घंटे का आराम मिलना 2. गर्भावस्था के दौरान 10 किलो वजन बढ़ना 3. महिला के साथ सम्मानजनक और खुशमिजाजी का व्यवहार होना चाहिए 4. यदि कोई समस्या हो तो तुरंत स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करना 5. पर्याप्त संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलना	1. गर्भावस्था का जल्दी पंजीयन 2. प्रसवपूर्व तीन नियमित जांचे 3. रक्तदाब की जांच 4. वजन और लम्बाई की माप 5. पेशाब की जांच 6. खून की कमी दूर करने के उपाय 7. टीकाकरण – टिटनेस के दो टीके 8. एच आई वी टेस्ट 9. किसी भी विकृति और जटिलता की जल्दी जांच और उसके उपचार की व्यवस्था करना 10. पूरक पोषण आहार की व्यवस्था 11. विटामिन-ए की व्यवस्था 12. आयरन और फोलिक एसिड की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करना 13. पीने का साफ पानी और स्वच्छता – शौचालय की उपलब्धता और उस तक आसान पहुंच होना 14. पोषण, स्वास्थ्य, सही व्यवहार (नशे के बुरे परिणाम, शरीर में बदलाव, खाने का व्यवहार, सोना-आराम करना) और सुरक्षित प्रसव से सम्बंधित मार्गदर्शन और सलाह

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
	प्रसवपूर्व परिवार शिक्षा और जागरुकता के लिए संवाद	जो जानकारियां मिलती हैं और जो सेवाएं उपलब्ध हैं, उनका अधिकारपूर्वक उपयोग करना	प्रसवपूर्व और परिवार शिक्षा और परामर्श के लिए प्रावधान – प्रसव से सम्बंधित कानूनों (प्रसव पूर्व लिंग की पहचान, जन्म का पंजीयन आदि) पर बात करना
	सुरक्षित मातृत्व और बच्चे का जन्म	1. घर के करीब / घर में / स्वास्थ्य संस्था में प्रसव के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वच्छ व्यवस्था उपलब्ध होना 2. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे, पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा	1. करीब ही सुरक्षित और स्वच्छ संस्थागत प्रसव सुविधा उपलब्ध होना 2. प्रशिक्षित हाथों से प्रसव होना 3. मनौवैज्ञानिक सहयोग के लिए परामर्श / सलाह सेवा उपलब्ध होना 4. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा
	सहयोगी सेवाएं		मातृत्व और पितृत्व हक – मातृत्व हक के रूप में कम से कम नौ महीने का वेतन (जीवन निर्वाह आय के हिसाब से) अवकाश के साथ पाने का हक, काम का समय और चरित्र तय करने में शिथिलता और पितृत्व अवकाश
जन्म से छह महीने तक	**मातृत्व स्वास्थ्य – प्रसव पश्चात देखभाल और सेवाएं**	महिला को पर्याप्त और संतुलित पोषणयुक्त भोजन मिलना	1. प्रसव के दो सप्ताह के भीतर तीन प्रसव पश्चात जांचें 2. बाद में भी प्रसव पश्चात नियमित जांचें 3. पर्याप्त पोषण की उपलब्धता और पहुंच 4. जटिल और गंभीर मामलों में अतिरिक्त पोषण आहार

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
			5. प्रसव के बाद बच्चे को तत्काल स्तनपान 6. विटामिन और खनिज पदार्थ दिए जाना 7. स्तनपान पर परामर्श, सलाह और मदद, प्रशिक्षण के बाद महिला की पोषण की जरूरतों और भोजन के तरीकों पर संवाद, आराम, दो बच्चों के बीच अंतर, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग
	नवजात शिशु और शिशु स्वास्थ्य	1. छह महीने की उम्र तक केवल माँ का दूध मिलना 2. जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध मिलना 3. बच्चों की देखरेख सही होना, जैसे उसे तत्काल नहलाया नहीं जाना, साफ कपड़े में लपेट कर माँ के करीब रखा जाना 4. नवजात बच्चे को बीमार व्यक्तियों से दूर रखना और बिना हाथ धोए कभी न छूना	1. जन्म पंजीयन 2. बच्चे के स्वास्थ्य की जांच 3. वृद्धि निगरानी 4. गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज और देखभाल की व्यवस्था, डायरिया का उपचार 5. जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की विशेष देखभाल और उपचार की व्यवस्था
	संदर्भ सेवाएं		1. विकलांगता की जल्दी पहचान और तत्काल उपचार की व्यवस्था होना 2. भारत सरकार की नीति के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होना

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
	उत्तरदायी देखभाल	1. बच्चे की निरंतर सजग देखरेख, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा 2. बच्चों से संवाद बनाते हुए, उन्हें खुशनुमा माहौल देना 3. इस उम्र में बच्चे शुरू में 20 घंटे से लेकर बाद में 15–16 घंटे तक सोते हैं। हमें यह देखना होता है कि उसे कब क्या जरूरत है और वह उसे कैसे अभिव्यक्त करता है ?	1. परिवार वालों के लिए बच्चों की देखरेख से सम्बंधित परामर्श सेवाओं की उपलब्धता, बच्चे के विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाना, बच्चे की सही देखरेख की जिम्मेदारी को परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की साझी जिम्मेदारी बनाना 2. बच्चों की देखरेख के लिए वयस्कों के जिम्मेदारियां और अधिकार परिभाषित करना 3. यदि किसी बच्चे को परिवार का संरक्षण प्राप्त न हो, तब बच्चे की सही और श्रेष्ठ देखरेख की वैकल्पिक गैर–संस्थागत और परिवार आधारित व्यवस्था बनाना 4. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा होना
	प्रारम्भिक प्रोत्साहन और खेल	इस उम्र की जरूरत के हिसाब से खेलने की सामग्री और स्थान मिलना	1. प्रारंभिक प्रोत्साहन से सम्बंधित मार्गदर्शन और सलाह 2. इस उम्र की जरूरत के हिसाब से खेलने की सामग्री और स्थान मिलना
	सहयोगी सेवाएं		1. मातृत्व हक – न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से भुगतान पाने का हक, काम का समय और काम का चरित्र तय करने में शिथिलता, वेतन के साथ नौ माह का मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भवती महिला के लिए नकद हस्तांतरण की व्यवस्था

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
			2. काम के स्थान पर स्तनपान के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवस्था 3. बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए शिशुओं की देखभाल करने के लिए व्यवस्था 4. पड़ोस या करीब में क्रेच या दिन भर चलने वाले केंद्र होना
छह माह से तीन साल तक के लिए	**बाल स्वास्थ्य**	छह माह से दो वर्ष की उम्र तक स्तनपान जारी रखते हुये जरूरी है कि बच्चे को ऊपरी आहार भी देना शुरू कर दिया जाए	1. नियमित स्वास्थ्य जांच 2. गंभीर बीमारी की अवस्था में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मिलना, डायरिया का उपचार, पेट के कीड़े खत्म करने के लिए दवा दी जाना 3. पोषण परामर्श 4. अति कम वजन / अति गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था होना 5. वृद्धि निगरानी 6. कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की त्वरित पहचान और समुदाय आधारित प्रबंधन होना 7. पूर्ण टीकाकरण 8. दो वर्ष की उम्र तक बच्चे को स्तनपान 9. सही समय से पर्याप्त ऊपरी पोषण आहार दिया जाना 10. विकलांगता की त्वरित पहचान और उसका उपचार

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
	उत्तरदायी देखभाल	1. बच्चे को परिवार की देखभाल का अधिकार मिलना 2. निरंतर देखरेख मिलना – अब बच्चा ज्यादा गतिविधियां शुरू कर रहा है, उसके साथ खेलना और बातें करना चाहिए, इससे वह भाषा और अभिव्यक्ति सीखता है 3. परिवार के पुरुष सदस्यों को भी इसमें बराबर की भूमिका निभानी होती है और घर का माहौल खुशनुमा रखना जरूरी है	1. यदि किसी बच्चे को परिवार का संरक्षण प्राप्त न हो, तब बच्चे की सही और श्रेष्ठ देखरेख की वैकल्पिक गैर-संस्थागत और परिवार आधारित व्यवस्था बनाना 2. प्रशिक्षित देखभालकर्ता के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल सेवा के साथ दिन भर के देखरेख केंद्र/क्रेच की व्यवस्था होना
	प्रारंभिक प्रोत्साहन, खेल और सीखने के अवसर	उम्र की जरूरत के हिसाब से खेलने की सामग्री और स्थान मिलना	1. प्रारंभिक प्रोत्साहन से सम्बंधित मार्गदर्शन और सलाह 2. उम्र की जरूरत के हिसाब से खेलने की सामग्री और स्थान मिलना 3. प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा देखभाल की व्यवस्था होना
	सुरक्षा	1. सुरक्षित और खतरों से मुक्त भौतिक-खुला स्थान मिलना 2. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे, पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा	1. सुरक्षित और खतरों से मुक्त भौतिक-खुला स्थान मिलना 2. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
तीन से छह साल तक के लिए	स्वास्थ्य	1. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होने पर तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना 2. बच्चों को पोषण युक्त विविधतापूर्ण भोजन मिलना	1. नियमित स्वास्थ्य जांच 2. गंभीर बीमारी की अवस्था में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, डायरिया का उपचार, पेट के कीड़े खत्म करने के लिए दवा दी जाना 3. पोषण परामर्श 4. अति कम वजन / अति कुपोषित बच्चों के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था होना 5. वृद्धि निगरानी 6. विकलांगता और बच्चे के विकास में हो रही देरी की त्वरित पहचान और उसका उपचार 7. पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार का प्रावधान और व्यवस्था 8. पूर्ण टीकाकरण
	उत्तरदायी देखभाल		1. परिवार से देखभाल पाने का अधिकार 2. यदि किसी बच्चे को परिवार का संरक्षण प्राप्त न हो, तब बच्चे की सही और श्रेष्ठ देखरेख की वैकल्पिक गैर-संस्थागत और परिवार आधारित व्यवस्था बनाना 3. प्रशिक्षित देखभालकर्ता के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल, सेवा के साथ काम के स्थान पर या घर के करीब पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ दिन भर के देखरेख केंद्र/क्रेच की व्यवस्था होना

स्थिति या उम्र	मुद्दा/जरूरत/पहलू	उम्र और स्थिति के हिसाब से बच्चों और महिलाओं की आवश्यकतायें और अनिवार्य व्यवहार	
		घर/समुदाय में	संस्थागत ढांचे में
	बच्चों की खेल आधारित प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा	1. गुणवत्तापूर्ण और समान स्कूल-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना 2. स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे को सहज बनाते हुए तैयार करना	1. प्रारंभिक प्रोत्साहन से सम्बंधित मार्गदर्शन और सलाह 2. उम्र की जरूरत के हिसाब से स्थानीय संस्कृति के अनुरूप सुरक्षित खेलने की सामग्री और स्थान मिलना 3. प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा देखभाल की व्यवस्था होना 4. प्रारंभिक सीख और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए घर के करीब उम्र के मुताबिक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम - शिक्षण तकनीक का निर्माण, बाल देखरेख केंद्रों के लिए प्रशिक्षित पर्याप्त मानव संसाधन, ढांचागत व्यवस्था की उपलब्धता होना 5. बच्चों को औपचारिक स्कूल में जाने के लिए सहज बनाते हुए काम करना
	सुरक्षा	1. सुरक्षित और खतरों से मुक्त भौतिक-खुला स्थान मिलना। 2. भावनात्मक संरक्षण और लैंगिक हिंसा से परे सहज माहौल मिलना। 3. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा	1. सुरक्षित और खतरों से मुक्त भौतिक-खुला स्थान मिलना 2. भावनात्मक संरक्षण और लैंगिक हिंसा से परे सहज माहौल मिलना 3. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव, शारीरिक खतरे और पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा

बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं को देखकर हमें पता चलता है कि उम्र और परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए परिवार, समुदाय और सरकारी सेवाओं में किस तरह के व्यवहार और व्यवस्था की जरूरत होती है।

हमें सिद्धांत के रूप में यह ध्यान रखना होगा कि मातृत्व हक और बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास में चार बातें महत्वपूर्ण हैं - **1.** पोषण के साथ खाद्य सुरक्षा, **2.** आजीविका की सुरक्षा, **3.** पीने का साफ पानी और स्वच्छता, **4.** मातृत्व हक और बच्चों की प्रारंभिक देखरेख-विकास के लिए राज्य की व्यवस्था।

अलग-अलग उम्र की अलग-अलग जरूरतें

जन्म से छह वर्ष की उम्र की अवधि में निम्न उप-स्थितियां आती हैं। हर एक स्थिति में उम्र आधारित कुछ खास जरूरतें होती हैं। यह अवधियां हैं-

जन्म से छह माह, छह माह से तीन साल और तीन साल से छह साल। हर स्थिति बच्चे के विकास की जरूरतों की प्रकृति उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है। उन जरूरतों का पूरा होना बेहद जरूरी होता है। एक स्थिति अपने से अगली स्थिति की नींव बनाते हुये आगे बढ़ती है। इस तरह इस आयुक्रम में सभी तरह की कोशिशों और पहल जैसे - देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण में निरंतरता की जरूरत है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, देखरेख और सुरक्षा की मूल भावना की बात समाज-सरकार के समझ में आ गई है, लेकिन देखरेख की व्यापकता अब भी स्पष्ट नहीं है। इसे परिभाषित करने की जरूरत है।

क्या भ्रूण (बच्चे का गर्भ में होना) से लेकर छह साल की उम्र तक की अवस्था को एक ही इकाई माना जायेगा ?

नहीं; जीवन का यह काल चार भागों में बंटा है। हर अवस्था में बच्चों की कुछ खास जरूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा किया जाना अनिवार्य होता है। ये अवस्थाएं हैं -

1. गर्भ से जन्म तक।
2. जन्म से छह महीने तक।
3. छह महीने से तीन साल तक।
4. तीन से छह साल तक।

इन आयु वर्गों की हर अवस्था में बच्चों की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। चूंकि ये सभी अवस्थाएं जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्थाएं हैं, इसलिए इनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों की जरूरतों की बात करते हैं, तब इसमें शामिल हैं - स्वास्थ्य, पोषण, देखरेख, सीखना-समझना और प्रेरक माहौल मिलना। बच्चों की इन जरूरतों को पूरा करने में किसी वयस्क को ही मुख्य भूमिका निभानी होगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा जरूरत को पूरा करने में लापरवाही होने से बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक विकास, क्षमता, आत्म-विश्वास और व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास का सामाजिक सन्दर्भ क्या है ?

परिवार का महत्व - बच्चे की देखरेख और उसके पालन-पोषण के लिए परिवार ही सबसे मुफीद जगह होती है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि खराब पारिवारिक माहौल की स्थिति में उपचार और पुनर्वास के संरक्षणात्मक उपायों को आजमाया जा सके। लेकिन अब यह साफ दिखाई देता है कि कुछ सामाजिक और आर्थिक कारणों से बच्चों की देखरेख और विकास में परिवार की भूमिका प्रभावित हुई है। वर्तमान समय में राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह परिवारों को आजीविका के

साधन, बुनियादी सेवाएं और खाद्य सुरक्षा का हक उपलब्ध करवाएं ताकि परिवार बच्चों की देखरेख में अपनी भूमिका निभा सके। परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी न होने पर बच्चे के सम्पूर्ण विकास पर गहरा असर पड़ता है।

ऐसी अवस्था में नीति-नियम बनाने, व्यवस्था बनाने, सेवाएं उपलब्ध कराने में राज्य की पहल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

वैकल्पिक देखरेख देने वाले परिवारों को अपने बच्चों की सबसे अच्छी देखभाल मुहैया कराने में मदद की जानी चाहिए। शहरीकरण के बीच एकल परिवार तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे समुदाय में दादा-दादी या नाना-नानी और संयुक्त परिवारों से मिलने वाली बच्चों की देखभाल की पारंपरिक व्यवस्था का प्रचलन नहीं रहा। ऐसे में जरूरतमंद बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था दिए जाने की जरूरत है। बच्चों को अलग-अलग मौकों, मौसमों, अवधियों और स्थानों पर वैकल्पिक देखभाल करने वालों की जरूरत पड़ती है। खासकर उस समय जब उनके माता-पिता या देखरेख करने वाले पारिवारिक सदस्य उपलब्ध नहीं होते।

महिलाओं की एक से ज्यादा भूमिकाओं का महत्व – घरों में महिलाओं पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। घर का कामकाज, बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल, आमदनी या बिना आमदनी के साथ घरेलू आय और आजीविका में दिए जाने वाले योगदान को भी पहचानने की जरूरत है। उपयुक्त कदम उठाकर इनका आंकलन और सहयोग करना चाहिए। महिलाएं दोहरी भूमिका निभाती हैं – घर में और घर के बाहर काम करके। ऐसे में बच्चों की देखरेख के लिए समय की कमी होती है और इसका असर महिला और बच्चों दोनों पर पड़ता है।

देखरेख करने वाले वयस्क व्यक्ति की भूमिका का महत्व – इसका मतलब है जीवन-चक्र से जुड़ी जरूरतों की पूर्ति करते हुए बच्चों की देखरेख करने वाले सभी महिलाएं और पुरुष। पुरुषों और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को बच्चे की देखरेख में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। ताकि बच्चे की देखरेख का जिम्मा सिर्फ महिला और परिवार के अन्य बच्चों पर न रहते हुए माता-पिता दोनों पर संतुलित तरह से रहे।

सामाजिक समता का महत्व – लैंगिक, विकलांगता, जातिगत और किसी भी कारण के आधार पर भेदभाव और असमान, सामाजिक पहचान को सक्रियता के साथ दूर करने की जरूरत है ताकि बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास के सार्वभौमिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक संदर्भ और पारिवारिक ढांचों में विविधता का नीतिगत ढांचे और कानून लागू करने से ही हल निकाला जा सकता है।

सरकार की बच्चे के प्रति जिम्मेदारी – माता-पिता प्रमुख रूप से बच्चों की देखरेख के लिए (या बच्चे के कानूनी अभिभावक) जिम्मेदार होते हैं। सरकार को उन्हें ऐसा करने में मदद करना जरूरी है। यदि वह बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो यह जिम्मेदारी खुद सरकार को उठाना चाहिए।

भारत में परिवारों, समुदायों और गुणवत्तायुक्त देखभाल के लिए सेवाओं को मजबूती देने के साथ ही बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्षों में सभी तरह के विकास और शिक्षा उपलब्ध कराना समाज और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि बच्चों के अधिकारों को कानूनी आधार मिले।

अगर देखभाल अच्छे से हो तो बच्चों के विकास पर क्या असर होगा ?

वास्तव में बच्चों की अच्छी और सही देखभाल उनके सही विकास का आधार बनाती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही गति से सही दिशा में होता है। यही देखभाल तय करती है कि वे अच्छे से शिक्षा हासिल कर पायें, वयस्क होकर बिना थके काम कर पाएं, बार-बार बीमार न पड़ें और उनका व्यक्तित्व सकारात्मक और आत्म-विश्वासी हो। कई अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की अच्छी और सही देखरेख का उनके सही विकास से गहरा और सीधा सम्बन्ध है।

बच्चे की सही देखभाल से बच्चों की **बौद्धिक क्षमता और उनका आत्मविश्वास बढ़ता** है। अति गरीबी और विपरीत परिस्थितियों में बच्चों में सीखने की क्षमता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है किन्तु बच्चों की देखभाल के लिए ज्यादा कोशिशों से ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है (केम्पबेल और हेम्स, 1998)।

गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के कारण ज्यादातर बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। हरियाणा में एक अध्ययन से पता चला कि वंचित तबकों के बच्चों को अच्छी आंगनवाड़ी सेवा मिलने से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में 46 प्रतिशत की कमी आई (चतुर्वेदी और अन्य, 1987)।

वंचित तबकों के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से सम्बंधित गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त सेवाएं मिलने से उनके **विकास में देरी** (जैसे सही समय पर चलना, दौड़ना, अभिव्यक्त करना, बोलना, खेलना आदि) की समस्याएं हल हो सकती हैं। पोषण और देखरेख की कमी के कारण बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं। यह स्थिति उन्हें स्कूल से दूर रखती है क्योंकि वे बार-बार अनुपस्थित रहते हैं। एक मायने में प्रारंभिक देखरेख से बच्चों की क्षमता बढ़ती है और वे अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाने में सक्षम हो जाते हैं, यानी इससे समाज में समानता आने की संभावना बढ़ती है (कबीरू और हाइड)।

यदि बच्चों को उचित और सही देखरेख की सेवाएं मिलती हैं, तो बच्चों में **स्वच्छता और अच्छे व्यवहार की सोच** भी विकसित होती है। बच्चों की इन आदतों का असर घरेलू व्यवहार (परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार) पर भी पड़ता है। बच्चों के परिजनों के साथ काम करने से यह देखा गया है कि इससे उनके स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार में सकारात्मक फर्क पड़ता है। साथ-साथ बच्चों की सेहत ठीक होने से वे ज्यादा संवाद कर पाते हैं। उनके साथ खेलते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जिन बच्चों को जीवन के शुरूआती समय में अच्छी देखभाल मिलती है, वे खुद को कमजोर नहीं मानते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे चल कर ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं (केरोलिन अर्नाल्ड)।

समाज में **लैंगिक भेदभाव वाले व्यवहार पर भी इसका असर** पड़ता है। जब छोटी बच्चियां बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास की प्रक्रिया और कार्यक्रम का हिस्सा बनती हैं, तो उनके परिजनों को यह अहसास होता है कि उनकी बेटी अपने आप में एक पूरा व्यक्तित्व है, उसमें आत्मविश्वास, कौशल और क्षमता है। वह भी सीख सकती है। जब सभी बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के लिए बाल देखरेख केंद्र (दिन भर चलने वाली आंगनवाड़ी) संचालित होंगे तो उन बड़े बच्चों (चार-पांच-छह साल के) को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी। भारत में हुए अध्ययन से पता चला कि जिन बच्चियों को सही देखभाल और संस्थागत सेवाएं मिली, वे सही समय पर स्कूल में दाखिल हुईं (मेयर्स 1995)।

आर्थिक पहलू - ब्राजील के एक अध्ययन से पता चला कि यदि बच्चों की परवरिश पर सरकार पर्याप्त आवंटन करे, तो उससे लंबी अवधि में अन्य हिस्सों पर कम संसाधन खर्च करना पड़ेंगे। वहां अध्ययन के समय एक बच्चे की स्कूल पूर्व शिक्षा पर मात्र 100 डालर के व्यय की जरूरत थी, जबकि सड़क पर रहने वाले बच्चे के लिए 200 डालर और अपराध में शामिल बच्चे पर 1000 डालर का व्यय हो रहा था। यदि सम्पूर्ण बच्चों की देखरेख पर उचित ढंग से व्यय किया जाए तो बच्चे बेघर और आश्रय से वंचित न होंगे और व्यक्तित्व का सही विकास होने से उनके अपराधी बनने की आशंका भी कम होगी। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की उचित देखभाल पर किया जाने वाला व्यय कितना लाभदायी और सकारात्मक है।

बेहतर जीवन - अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की देखभाल पर 100 रुपये खर्च करने पर समाज को 700 रुपए का लाभ होता है। 27 साल चले एक अध्ययन से यह जानकारी मिली कि स्कूल-पूर्व शिक्षा और सही देखभाल पाने वाले बच्चे मुख्य स्कूल में अन्य बच्चों से गणित, किताब पढ़ने, भाषा और अन्य उपलब्धियों में आगे रहे। जिन लड़कियों को ये लाभ नहीं मिले, उनमें से 53 प्रतिशत ने ही हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की, जबकि प्रारंभिक देखरेख और विकास की सेवा पाने वाली 84 प्रतिशत लड़कियों ने यह पढ़ाई पूरी की। जिन बच्चों पर अध्ययन हुआ, वे अध्ययन के अंत में 27 साल के थे। उनके बारे में पता चला कि वे अन्य युवाओं की तुलना में ज्यादा जानकार थे, वे समस्याओं के समाधान में ज्यादा सक्षम थे, उनकी आय ज्यादा थी, उनके परिवार के भीतर बेहतर माहौल और प्रगाढ़ता थी। (बर्न्स श्विनहार्ट और वीकार्ट, 1993)

बच्चों की प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास सही होने पर उनके व्यक्तित्व, उनके आत्मविश्वास पर अच्छा असर पड़ता है। इससे वे सही समय पर और ज्यादा समय के लिए स्कूल में रहते हैं। इस पर किया गया आर्थिक व्यय बेहतर समाज के निर्माण के लिए किया गया निवेश है। इससे लैंगिक असमानता, गैर-बराबरी और अपराध में कमी आ सकती है; बशर्ते हम एक कानूनी व्यवस्था बना कर एक व्यापक कार्यक्रम लागू करें। इस सन्दर्भ में हमारी सरकार को सबसे अहम् भूमिका निभानी होगी।

क्या इस पहल और कार्यक्रम का विकलांगता से कोई सम्बन्ध है ?

व्यापक परिभाषा के आधार पर माना तो यह जाता है कि लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी तरह की विकलांगता से प्रभावित है। इस मान से भारत में 6 करोड़ लोग विकलांगता से प्रभावित होना चाहिए। भारत की ताजा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 साल से कम उम्र के कुल 55,72,336 लोग विकलांगता से प्रभावित हैं। जब हम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, तब हमें जनगणना 2011 से पता चलता है कि भारत में 29.42 लाख बच्चे विकलांगता से प्रभावित हैं। यदि 5 प्रतिशत का मानक स्वीकार किया जाए, तो वास्तव में 75 लाख बच्चे विकलांगता से प्रभावित हैं। इसका मतलब यह भी है कि हमारी विकलांगता की परिभाषा सीमित है और यह भी कि हम वास्तव में उन सभी बच्चों की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। वे अदृश्य हैं। यदि प्रारंभिक देखरेख और विकास की सही व्यवस्था बन सके, तो हम सभी बच्चों की इस सन्दर्भ में सही समय पर पहचान कर सकेंगे, जरूरी उपचार और पुनर्वास कर सकेंगे और उनकी विकलांगता को कम भी कर सकेंगे और आगे बढ़ने से भी बचा सकेंगे।

लिंगभेद – प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास से क्या लिंगभेद को खत्म किया जा सकता है ?

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास से लिंगभेद पूरी तरह से खत्म किए जाने का दावा तो नहीं किया जा सकता, परन्तु हम सब जानते हैं कि लिंगभेद का व्यवहार जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास की व्यवस्था एक सोच के साथ लागू की जाएगी, तो बच्चियों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के बहुत बड़े अवसर मिलेंगे।

हम सब यह जानते हैं कि आज भी बच्चियों को प्राथमिक शिक्षा के आसपास तक ही सीमित कर दिया जाता है। यदि उन्हें सही संरक्षण मिलेगा तो समाज की सोच में भी बदलाव आएगा। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास के जरिए यह देखने को मिलेगा कि बच्चियां भी सजग–सक्रिय और क्षमतावान हैं। इस पहल से बच्चियों में कुपोषण में कमी आएगी और सही समय पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, जिनसे वे घरों में बंद रहने के कारण वंचित रह जाती हैं।

इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के लिए प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र / रुचिकर आंगनवाड़ी होने से कामकाजी महिलायें बिना किसी दुविधा और संकोच के काम पर जा सकेंगी। इससे ही उन बच्चियों को शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे, जिन्हें स्कूल छोड़कर घर में रह कर छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना पड़ती है।

आंगनवाड़ी; बच्चों का दूसरा घर

यहां आंगनवाड़ी का मतलब एक भवन भर नहीं है। न ही खिचड़ी बांट देने से काम पूरा हो जाता है। यहां बच्चों को मजा आता है। वे गीत गाते हैं, अभिनय करते हैं, उछलते हैं, बातें करते हैं, सीखते हैं और मजे से खेल-खेल में सीखते हैं। मजा आता है, इसलिए बच्चे हर रोज उत्साह के साथ आते हैं। कुपोषण से गहरे तक प्रभावित रहे मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के खालवा विकासखंड के अम्बाडा गांव की आंगनवाड़ी कुपोषण का कलंक दूर करने का रास्ता बताती है। इस गांव में बच्चे को कुछ भी हो जाए, वह सबसे पहले आंगनवाड़ी जाता है। यहाँ चम्मच से थाली बजती है और बच्चे आंगनवाड़ी चले आते हैं। यह काम किसी जादुई डंडे से नहीं, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भागवती सोनी की लगातार कोशिशों का परिणाम है।

1991 में अम्बाडा गांव में एक आंगनवाड़ी खोली गई। भागवती सोनी को आंगनवाड़ी सेंटर चलाने की जिम्मेदारी मिली। इसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग इंदौर में मिली। पहले आंगनवाड़ी चलाने के लिए इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, न सामान था और न ही बजट। यह उनकी रूचि और सामाजिक दायित्वों के प्रति आग्रह ही था कि घर के आंगन से ही व्यक्तिगत संसाधनों के साथ इस मुहिम पर निकल पड़ीं। गांव का सहयोग भी मिला। खाने-पीने का सामान और एक तेल का डिब्बा भर मिला करता था। रोज आंगनवाड़ी लगा करती। बच्चे हर रोज नई-नई चीजों को सीखते। इस कारवां को चलते-चलते आज लगभग दो दशक से ज्यादा हो गए। अब भी उसी गति से बल्कि उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आंगनवाड़ी चल रही है। अब इस आंगनवाड़ी में 0 से 6 साल के 118 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इनमें तीन बच्चे ही अति कम वजन के हैं। पहले यहाँ 8 बच्चे अतिकुपोषित और 39 बच्चे मध्यम दर्जे में आ गए थे। यह संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन जिस इलाके में आजीविका के संकट गंभीर रूप से खड़े हों वहां जड़ से कुपोषण दूर कर देना केवल एक आंगनवाड़ी के बस की बात नहीं है। फिर भी अम्बाड़ा गांव में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत मध्यप्रदेश के कुल आंकड़े से कम है।

आंगनवाड़ी में सुबह सबसे पहले साफ-सफाई का पाठ और फिर प्रार्थना। इसके बाद शुरू हो जाता है अक्षर, वर्णमाला का दौर। पढ़ाई के बाद हर दिन तय मीनू के हिसाब से भोजन। इस काम में मदद करती हैं सहायिका नसीम बानो। 'मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ,' ' कूकू भाई जंगल में रहता है' सरीखे गीतों में बच्चों को मजा तो आता ही है उनका ज्ञान भी बढ़ता है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए भी यहां से पोषण आहार, टीकाकरण आदि की सुविधाएं मिलती हैं। भागवती सोनी बताती हैं कि बच्चे तो उन्हें आंगनवा़ड़ी आते देखकर खुद ही आ जाते हैं। वह कहती हैं कि 'उन्हें खुद कोरकू बोली आती है इसलिए इन कोरकू बच्चों के साथ वह उसी भाषा में बेहतर तरीकों से सिखा पाती हैं'।

रिपोर्ट - राकेश मालवीय
फोटो - गगन नायर

अध्याय 3

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास

दूसरे पहलुओं से सम्बन्ध

इस अध्याय में हम चार बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं -

एक - बच्चों का जीवन और स्वास्थ्य

दो - टीकाकरण

तीन - महिलाओं के काम की पहचान और मातृत्व हक

चार - परिवार और राज्य की भूमिका

1 बच्चों का जीवन और स्वास्थ्य

भ्रूण से नवजात शिशु तक का सफर

क्या प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के लिए किये जाने वाले प्रयास बच्चों की मृत्यु दर (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु) में कमी ला सकते हैं?

बिल्कुल; इन प्रयासों से स्थिति बहुत बदल सकती है। इस सवाल के जवाब खोजने के लिए हम दो बिंदुओं पर बात करते हैं।

पहली बात - सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे (2012) के आधार पर किये गए आंकलन से पता चलता है कि वर्ष 2012 में भारत में पाँच साल से कम उम्र के 13.59 लाख बच्चों की मृत्यु हुई। इनमें से 7.82 लाख बच्चों की की मृत्यु देश के चार राज्यों - उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में हुई। 35 फीसदी मौतें निमोनिया और डायरिया के कारण हुई। इसका मतलब है कि साफ-सफाई और स्तनपान के सही व्यवहार, सही समय पर पूरा ऊपरी आहार देने की तैयारी, वातावरण को अच्छा बना कर, सही समय पर उपचार और देखभाल से 4.75 लाख बच्चों को बचाया जा सकता है।

दूसरी बात - द लांसेट पत्रिका में छपे एक शोध पत्र (ज़ेड इ भुट्टा) के अनुसार टीकाकरण, सही स्तनपान, साफ पानी और स्वच्छता (हाथ धोने और शौचालय के उपयोग) की व्यवस्था मिलने से निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों को आधा (48 प्रतिशत) कम किया जा सकता है। (स्रोत - द लांसेट में प्रकाशित आलेख और सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे के आधार पर आंकलन)

- भारत में हर घंटे 23 बच्चों की मृत्यु डायरिया के कारण होती है।
- भारत में हर घंटे निमोनिया 44 बच्चों का जीवन छीन लेता है।

क्या पर्यावरण प्रदूषण भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की फेक्ट शीट (2014) के मुताबिक निमोनिया से होने वाली आधी मौतों का कारण ईंधन (लकड़ी आदि) से पैदा होने वाला प्रदूषण होता है। जब हम बच्चों को घर में एक अच्छा वातावरण देने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अच्छा पर्यावरण। इसी तरह घर के बाहर का प्रदूषण भी बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। (स्रोत–डब्ल्यूएचओ फेक्ट शीट 2014 और के आर स्मिथ एवं अन्य, घरेलू प्रदूषण पर द लांसेट, 2011 में प्रकाशित परचा)

छह माह तक केवल स्तनपान और उसके बाद 2 साल तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान से कितना फर्क पड़ता है ?

- बच्चे को छह महीने तक केवल स्तनपान मिले तो उसे निमोनिया होने की सम्भावना 23 प्रतिशत कम हो जाती है।
- यदि किसी छह महीने के बच्चे को निमोनिया हो और उसे केवल माँ का दूध न मिल रहा हो, तो उसकी मृत्यु होने की सम्भावना 15 गुना ज्यादा हो जाती है।
- दूसरी तरफ माँ का दूध न मिलने की स्थिति में डायरिया से पीड़ित बच्चे के मरने की संभावना 10 गुना ज्यादा हो जाती है।

गर्भावस्था से ही बच्चों की देखरेख की बात का महत्व क्यों हैं ?

भारत में जन्म के समय ही एक तिहाई बच्चे ढाई किलो से कम (यानी कम वजन के) होते हैं। फिर भारत के चार राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में वर्ष 2012 में 4.53 लाख नवजात शिशुओं (यानी जन्म के 28 दिन के भीतर) की मृत्यु हुई। हमारे यहाँ पाच साल से कम उम्र के बच्चों की जितनी मौतें होती हैं, उनमें से आधे बच्चे 28 दिन भी नहीं जी पाते हैं। इनके कारणों को समझते हैं। जितने बच्चे जन्म के बाद जीवन के शुरुआती 28 दिनों में मरते हैं, उनमें से 35 प्रतिशत यानी एक तिहाई की मृत्यु समय से पहले जन्म होने के कारण होती है। यानी गर्भवती महिला को पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, पूरी देखभाल का भी बहुत महत्व है।

- 20 फीसदी बच्चों की मृत्यु पूरी आक्सीजन न ले पाने (बर्थ एस्फिक्सिया) के कारण होती है, यानी सभी सुविधाओं के साथ ही सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था अनिवार्य है। हम जानते हैं कि अब भी देश की बहुत बड़ी आबादी को संस्थागत प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि प्रशिक्षित दाईयों को सम्मानजनक तरीके से मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
- 16 प्रतिशत नवजात बच्चे निमोनिया से लड़ नहीं पाते हैं।
- 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु घाव के संक्रमण (सेप्सिस) के कारण होती है।

इन परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा ?

हमें तय करना होगा कि सुरक्षित प्रसव हों, नवजात शिशु की देखभाल (संस्थागत और घरेलू) हो, बच्चे को माँ की निकटता, जन्म के बाद तत्काल एक घंटे के भीतर माँ का दूध मिले।

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास का स्वास्थ्य से क्या सम्बन्ध है ?

जिस तरह पोषण का महत्व है उसी तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे जरूरी है कि बच्चे को बीमारियों और संक्रमण से बचाकर रखा जाए। वास्तव में जो बीमारियाँ बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे बच्चों को पूरा टीकाकरण करवा कर और सही स्वास्थ्य व्यवहार से बचाया जा सकता है। सभी टीके, जैसे बीसीजी, पोलियो, खसरा या माता, डीपीटी, हेपेटाईटिस-बी इत्यादि लगवाने से कई बड़ी बीमारियों जैसे - टीबी, पोलियो, माता, कुकुर खांसी, टिटनेस से निश्चित समय के लिये बचाया जा सकता है। कुछ अध्ययनों (जैसे मिलियन डेथ अध्ययन) से ये पता चलता है कि कुल बाल मौतों में से अधिकांश मौतों के कारण दस्त, निमोनिया और मलेरिया होते हैं। अध्ययन के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली कुल 100 मौतों में से 13 दस्त के कारण और 16 निमोनिया के कारण होती हैं। बार-बार दस्त होने से बच्चे को कुपोषण होने का खतरा होता है। यानी देखभाल, स्वच्छता और सावधानी से बच्चों का जीवन बच सकता है।

2 टीकाकरण

बीमारियों से बचाव के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मार्च 2015 में जारी एक आधिकारिक आलेख के मुताबिक भारत में हर वर्ष 2.7 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। इनमें से लगभग 18.3 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। भारत में हर साल 5 लाख बच्चों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से होती हैं, जिनसे सम्पूर्ण टीकाकरण करके बचा जा सकता है। डॉ. एच.आर. केशवामूर्ति के लिखे इस आलेख में बताया गया है कि भारत में अब भी लगभग 30 प्रतिशत यानी 89 लाख बच्चे या तो टीकाकरण से वंचित हैं, या उनका पूरा टीकाकरण नहीं होता है।

इसी सन्दर्भ में सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के साथ अब 25 दिसम्बर 2014 से भारत में सम्पूर्ण टीकाकरण का एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है - मिशन इन्द्रधनुष। इसमें सबसे कमजोर 201 जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना तय किया गया है, ताकि जो बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, उनका सम्पूर्ण टीकाकरण हो सके।

टीकाकरण समय सारणी

कब	कौन सा टीका लगाना है?	कुछ अहम बातें
जन्म के समय	बीसीजी (पहला टीका) + पोलियो की दवा पिलाना (पहली खुराक) + जन्म के 24 घंटों में हेपेटाईटिस-बी (पहला टीका)	गर्भवती होने का पता चलते ही महिला को टिटनेस का पहला टीका और एक महीने में दूसरा टीका लगना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम अगर सही ढंग से लागू हो तो यह बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है - डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, तपेदिक, खसरा और हेपेटाईटिस-बी। इसके साथ ही चुने हुए जिलों में जापानीज़ एन्सिफिलाईटिस (मस्तिष्क ज्वर) और हेमोफीलस इन्फुएंज़ा - टाइप बी को नियंत्रित करने वाले टीके भी नये कार्यक्रम में जोड़े गए हैं। इसके साथ ही 16 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने की उम्र में बच्चों को विटामिन - ए की खुराक भी दी जाना है। सलाह दिए जाने पर निगरानी में 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को आयरन-फोलिक एसिड सिरप और 1 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों को पेट के कीड़े निकालने वाली दवा दिए जाने की व्यवस्था है। **ये सभी टीके और दवाएं सरकारी व्यवस्था के तहत निशुल्क उपलब्ध हैं।**
6 सप्ताह या डेढ़ माह का होने पर	डीपीटी (पहला टीका) + पोलियो (दूसरी खुराक) + हेपेटाईटिस-बी (दूसरा टीका)	
10 सप्ताह या ढाई माह का होने पर	डीपीटी (दूसरा टीका) + पोलियो (तीसरी खुराक) + हेपेटाईटिस-बी (तीसरा टीका)	
14 सप्ताह या साढ़े तीन माह का होने पर	डीपीटी (तीसरा टीका) + पोलियो (चौथी खुराक) + हेपेटाईटिस-बी (चौथा टीका)	
9 से 12 महीने का होने पर	खसरा रोकने वाला टीका (पहला टीका)	
16 से 24 महीने का होने पर	खसरा रोकने वाला टीका (दूसरा टीका) + डीपीटी बूस्टर (पांचवा टीका) + पोलियो बूस्टर (पांचवी खुराक)	
5 साल का होने पर	डीपीटी बूस्टर (चौथा टीका)	
10 साल का होने पर	टिटनेस (पहला टीका)	
16 साल का होने पर	टिटनेस (दूसरा टीका)	
जापानीज़ एन्सिफिलाईटिस	वर्ष 2006 से 2010 तक यह टीका देश के चुने हुए 112 जिलों में लगाया जाता था, अब इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।	

3 महिलाओं के काम की पहचान और मातृत्व हक

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास से महिलाओं के मातृत्व हक कैसे जुड़े हुए हैं ?

महिला के मातृत्व हक और बच्चों की देखरेख का हक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब महिला गर्भवती होती है तो उसे ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जिनसे उसका स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहे। जबकि गर्भ में आते ही यह बच्चे का हक है कि उसे पूरी देखभाल और पोषण मिले ताकि गर्भ में भी उसका सही विकास हो। यदि गर्भावस्था में महिला को आराम, भोजन, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सेवाएं नहीं मिलेंगी तो बच्चे का विकास भी प्रभावित होगा। वह कम वजन का हो सकता है या उसके शरीर या दिमाग में कोई विकृति आ सकती है। ऐसे में मातृत्व हक पर समझौता हो ही नहीं सकता है।

दूसरी बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल और सेवाएं न मिलने से प्रसव जटिल हो सकता है, बच्चे और माँ की मृत्यु भी हो सकती है। भारत उन देशों की सूची में शामिल है, जहाँ सबसे ज्यादा नवजात शिशु दर और मातृ मृत्यु अनुपात है।

मातृत्व हक का एक लक्ष्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले श्रम को पहचान दिलाना और काम के सही विभाजन की रूपरेखा तैयार करना भी है। बच्चों के पालन–पोषण और परवरिश की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वे ही निभाती हैं, पर लैंगिक भेदभाव के चलते उस भूमिका और काम को दोयम दर्जे का या कम महत्व का माना जाता है। यदि बच्चों के देखभाल, स्कूल पूर्व शिक्षा और मातृत्व हकों की संवैधानिक व्यवस्था बने, तब ही उनके काम और इस अदृश्य श्रम को एक पहचान मिल पाएगी।

मातृत्व हक का बच्चों के अधिकार के साथ क्या जुड़ाव है ?

वास्तव में बच्चों और महिलाओं के अधिकार परस्पर जुड़े हुए ही हैं।

जरा महिलाओं के श्रम के मतलब और महत्व को समझें!

हमारे यहाँ आम नजरिया यह है कि जो व्यक्ति काम करके कुछ कमा कर (पैसा) लाता या लाती है, वही कामकाजी होता है। इस सोच को संवेदनशील और व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है। जो महिलाएं अपने खेत पर काम करती हैं और उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। ऐसे में उनके योगदान का कोई महत्व ही नहीं माना जाता है; परन्तु उन्होंने श्रम तो किया है । इसी तरह अपने खुद के घर को चलाने और व्यवस्था बनाने के लिए महिलायें जो काम करती हैं, उसको भी बेमोल माना जाता है।

जरा अपने आप से ही यह सवाल पूछिए कि क्या अपने घर में किये जाने वाले काम में (जो कि ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है) श्रम नहीं लगता, उर्जा खर्च नहीं होती। लिंगभेद का सबसे बुनियादी आधार श्रम के मामले में भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। लैंगिक भेदभाव की सोच को मिटाने के लिए श्रम के भेदभाव के खात्मे से पहल शुरू करना होगी।

भारत सरकार द्वारा किये गए **समय के उपयोग के सर्वे** (वर्ष 2000) से पता चला कि भारत में हर 10 में से 9 महिलाएं किसी न किसी तरह के काम में संलग्न हैं। वे हर रोज औसतन 6 घंटे का 'बेमोल' (जिसका कोई भुगतान नहीं होता) श्रम करती हैं।

बच्चों, वृद्धों, बीमारी से प्रभावित परिजन की देखभाल-परवरिश और घर की व्यवस्था का काम भी श्रम ही है। महिलाओं की इस भूमिका और योगदान को श्रम व्यवस्था और समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी होगा कि सभी उद्योगों और रोजगार देने वाले क्षेत्रों में उनकी इन भूमिकाओं को पहचान और महत्व मिले और हकों के कानूनी प्रावधान किये जाएँ।

कामकाजी या श्रमशील महिलाओं की मौजूदा स्थिति क्या है ?

पहली बात - वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में महिलाओं की कुल संख्या 58.75 करोड़ थी। इनमें से 17.19 करोड़ महिलायें (लगभग 30 प्रतिशत) आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं। किन्तु हमारी व्यवस्था अपने घर की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं को अकार्यशील व्यक्ति मानता है। ऐसी महिलाओं की संख्या 15.99 करोड़ (27.2 प्रतिशत) हैं। इन 27 फीसदी महिलाओं के लिए हकों की कोई ठोस व्यवस्था है ही नहीं।

दूसरी बात - भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों (वर्ष 2000 और वर्ष 2013 में) 'समय के उपयोग का सर्वे' (टाइम यूज सर्वे) किये। इनसे पता चला कि अपना घर संभालने वाली महिलायें कितने तरह के काम करती हैं! महिलायें भोजन पकाने, सामान लाने, बच्चों की देखभाल करने, उन्हें खेलने ले जाने, उन्हें स्कूल छोड़ने जाने, उन्हें पढ़ाने, वृद्धों और बीमार परिजन की देखभाल करने, रिश्तेदारों से पारिवारिक सम्बन्ध रखने या अन्य परिवारों की मदद करने जैसे 118 काम (गतिविधियां) करती हैं।

अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि इन कामों में वे दिन में 6 से 16 घंटे तक श्रम करती हैं। अब खुद से सवाल पूछिए कि क्या ये महिलाएं समान और गरिमामय मातृत्व हकों की हकदार नहीं हैं? यदि वे हकदार हैं; तो हम इन हकों को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

तीसरी बात - जब हम प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र की कल्पना करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अपने घरों को संभालने वाली महिलाओं के 0-3 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी व्यवस्था बनाना जरूरी है; जैसे झूलाघर ताकि बच्चे वहाँ रह सकें जहां उनकी भी देखभाल हो सके।

मातृत्व हक का मतलब क्या है ?

मातृत्व हक का मतलब है हर कामकाजी महिला को गर्भावस्था की तीसरी तिमाही से प्रसव के बाद तक के लिए अवकाश और नकद सहयोग पाने का अधिकार। संगठित क्षेत्र में महिला को यह हक देने की जिम्मेदारी नियोक्ता (जहाँ वह काम करती है) की है। असंगठित क्षेत्र में सरकार ने कामकाजी महिलाओं के इस हक के लिए बहुत थोड़े से प्रयास किये हैं। हालाँकि यह सच है कि इस मुद्दे पर अब गहरी समझ बन रही है क्योंकि महिलाओं का यह हक छोटे बच्चों के हक के साथ सीधे जुड़ाव रखता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (2013) कहती है कि कामकाजी महिला के अधिकार से आगे बढ़कर एक महिला को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का भी अधिकार है। ऐसे में मानव अधिकार के नजरिए से एक महिला को गर्भावस्था से लेकर बच्चों की प्रारंभिक देखरेख, जब बच्चे को सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, की सेवाओं का हक मिलना चाहिए। हमारे समाज और देश में बच्चों के पालन-पोषण के महत्व को कम महत्वपूर्ण काम माना गया। यही कारण है कि सरकार ने भी इस महत्वपूर्ण काम और जिम्मेदारी पर संसाधनों का सबसे कम निवेश किया।

हर महिला को कामकाजी और श्रमशील मानना ताकि समाज का यह नजरिया बनाया जा सके कि महिला चाहे अपने घर के भीतर की जिम्मेदारियां निभाए, चाहे खेत की या निर्माण की और दफ्तर की; वह श्रम तो करती ही है। उसकी हर भूमिका का सम्मान करते हुए बिना किसी भेदभाव के उनके मातृत्व हक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **गर्भवती होते ही उनका पंजीयन होना** ताकि उन्हें अनिवार्य सेवाएं मिल सकें।
- **महिलाओं के पोषण का अधिकार** ताकि वे खुद स्वस्थ रहें। उनके पोषण के अधिकार से ही भ्रूण का जीवन और विकास जुड़ा हुआ है। इसके बाद जन्म से ही बच्चे को स्तनपान के जरिये विकास की ठोस बुनियाद मिलती है।
- **महिलाओं को काम से अवकाश और बिना किसी पात्रता शर्त के आर्थिक सहायता का अधिकार** ताकि उनकी स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी चिंताएं खत्म हों। यदि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद के समय में उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इससे बच्चे और महिला दोनों का जीवन प्रभावित होता है। इससे उन्हें पलायन की मजबूरी से भी निजात मिल सकेगी।
- **महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार** ताकि सही समय पर किसी संभावित समस्या या जटिलता का पता चल सके। उनका टीकाकरण हो, उनके वजन और पेड़ू (गर्भ में भ्रूण की स्थिति) की जांच हो सके।
- **परामर्श और सलाह;** हमारी संस्थागत व्यवस्था ऐसी हो जिसमें किशोरावस्था से ही लड़कियों को अपने सवालों के जवाब मिल सकें, जहाँ वे अपनी

दुविधाएं साझा कर सकें और उनका समाधान खोज सकें। इसमें परामर्श, सलाह और गरिमामय सेवाओं का प्रावधान हो।

- गर्भावस्था से लेकर केवल स्तनपान की अवधि में नौ माह का वेतन के साथ अवकाश पाने का अधिकार होना ताकि उनका स्वास्थ्य मजबूत हो सके, वे किसी भी मातृत्व सम्बन्धी जटिलता का इलाज करा सकें और बच्चे को छह माह तक केवल स्तनपान का अधिकार दिला सकें और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यवस्था हो।
- **प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र या दिन भर चलने वाली आंगनवाड़ी का होना** ताकि वे उनके काम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, खेलने, सीखने, सुरक्षा और समाजीकरण के अधिकार संरक्षित रहें। प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र की परिकल्पना दो स्तरों पर की जाती है – कार्यस्थल पर और समुदाय/बस्ती में।
- **मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था** के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल, उनके विकास और मातृत्व हक के लिए किसी प्रतिबद्ध कोशिश में हमें एक स्वतंत्र और मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना करना होगी।

4 परिवार और राज्य की भूमिका

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास में परिवार और सरकार की क्या भूमिका है ?

परिवार की भूमिका इस मामले में सबसे अहम् है। माँ, पिता और सबसे करीबी परिजनों का व्यवहार और उनके द्वारा की गयी देखरेख बच्चे के जीवन को जो आदर देती हैं उनसे ही बच्चे का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेपाल और बांग्लादेश के अध्ययनों में यह पता चला कि माँ, पिता और परिजनों के ज्ञान, कौशल और विश्वासों के आधार पर बच्चों की देखभाल की जाए तो बच्चे के विकास का एक नया आयाम दे सकते हैं।

अकसर होता यह है कि गरीबी के नाम पर वंचित तबकों को यह अहसास करवा दिया जाता है कि उनका ज्ञान और कौशल कमतर है। इसके कारण वे बच्चों की देखभाल

में अपने गानों, गीतों, जानकारियों, कहानियों का उपयोग नहीं करते हैं और खुद पर से विश्वास खो देते हैं। जबकि वास्तव में अपने समाज, संस्कृति और माहौल से जुड़ाव रखने वाली कहानियां, गीत और बातचीत बच्चों को सबसे ज्यादा आनंद देते हैं।

बांग्लादेश के प्रयोग से पता चला कि बच्चों की देखरेख पर स्थानीय संस्कृति-भाषा-कला पर दिए गए प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद महिलाओं ने कहा कि 'मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। अब मैं अपनी बेटी को उन अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर पाउंगी, जिनका लाभ मैं नहीं उठा पायी।' यानी यदि माँ, पिता और अन्य परिजनों को यह अहसास करवाया जाए कि बच्चों की देखभाल में उनकी भूमिका कितनी अहम् है, तो समाज बच्चों के विकास का सबसे अच्छा केंद्र बनेगा। वास्तव में बच्चों की शुरूआती देखभाल, प्यार-दुलार, पोषण, इलाज की पहल और आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाने का काम भी परिवार ही कर सकता है।

इसके बाद संस्थाओं की भूमिका सामने आती है। आज अलग-अलग रूपों में लगभग 76 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम करती हैं। ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है जहाँ बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण की सेवाएं दी जाती हैं। यह सही है कि आज भी ये केंद्र 4 से 5 घंटे ही चलते हैं, जबकि जरूरत पूरे दिन चलने वाले केन्द्रों की है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास की जिम्मेदारी किसी एक विभाग के नियंत्रण में नहीं हो सकती है। यही कारण है कि आंगनवाड़ी के संचालन में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों, समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग को समान जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

शर्तों के बंधन से मुक्त हो मातृत्व हक

अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि मातृत्व हक को कुछ कड़ी शर्तों से बांधा जाए। ऐसा लगता है कि सरकार अब भी सभी महिलाओं को मातृत्व हक देने के लिए तैयार नहीं है। यह हक उन महिलाओं को ही दिए जाने की वकालत की जा रही है जिनकी उम्र 19 साल हो। इतना ही नहीं यह हक केवल दो बच्चों के जन्म तक ही दिया जाए, दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं। यह माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए यह हक क्यों दिया जाए ! वे मानते हैं कि महिलायें ही जनसंख्या वृद्धि के अपराध में मुख्य अपराधी हैं। ये शर्तें असंवेदनशील सोच का परिचय देती हैं। जिस समाज में व्यापक तौर पर अब भी लड़कियों को अपनी शादी के बारे में (किससे और कब शादी करें) निर्णय लेने का कोई अधिकार न हो, वहाँ 19 साल से कम उम्र में माँ बनने पर उनका संरक्षण किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए? इसी तरह वे कब और कितनी बार गर्भवती होंगी, क्या यह तय करने का हक महिलाओं को है ? यह हक उन्हें नहीं है। एक तरफ तो कम उम्र में जल्दी-जल्दी और बार-बार गर्भवती होने के कारण उनके जीवन पर जोखिम बहुत बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नीति बनाने वाले उनके जोखिम को कम करने के बजाये उन्हें 'दोषी' बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं ? हम मानते हैं कि हर महिला को, बिना शर्त, नौ महीने के वेतन/जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर की राशि मातृत्व हक के रूप में मिलना चाहिए और हमारे कार्यक्रम पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त होना चाहिए !

अध्याय 4

बच्चों की वृद्धि और विकास

अर्थ और आयाम

यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह जानना सबसे जरूरी है कि बच्चों के विकास का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब केवल एक उम्र से दूसरी उम्र में जाना (यानी छः महीने से एक साल का और एक साल से दो साल का हो जाना) भर है! नहीं! वास्तव में हम अपने जीवन में अपनी क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं, यह बचपन की देखभाल और सही विकास से ही तय होता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सीखने के क्षमता, हमारे अंगों का पूरा विकास और उनकी मजबूती; ये सब कुछ बच्चों की वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ है। यदि अच्छी देखभाल हुई, अच्छा पोषण मिला, प्यार, संरक्षण, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिली; तो बच्चों का पूरा जीवन बहुत बेहतर होगा। उनकी लम्बाई और वजन में वृद्धि भी जरूरत के हिसाब से सही होगी। इस सोच को ध्यान में रखते हुए ही इस अध्याय में हमने यह चर्चा की है कि जन्म के बाद बच्चों की वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है और इसके आयाम क्या हैं? हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास के साथ-साथ महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम, सम्मान के अधिकार भी इससे जुड़े हुए हैं।

क्या वृद्धि और विकास एक ही बात है ?

नहीं; वृद्धि और विकास में अंतर होता है। बच्चे का विकास एक छोटी कोशिका से शुरू होता है। यह जन्म से पहले माँ के गर्भ में नाल के जरिये जुड़ा रहता है। यह जन्म के बाद अपने आप बाहर की दुनिया से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव बच्चे के विकास और वृद्धि में मदद करता है। अक्सर वृद्धि और विकास को पर्यायवाची ही समझा जाता है, जबकि यह एकदम अलग हैं। इनकी प्रक्रियाएं भी अलग-अलग हैं। बच्चे की प्रगति में इनकी अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। वृद्धि शरीर की लम्बाई, ऊंचाई और वज़न के बढ़ने को कहते हैं। इनको मापा जा सकता है। विकास शरीर के रूप आकार संरचना एवं बनावट में लगातार परिवर्तन करता है और जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। विकास का जुड़ाव बच्चे और व्यक्ति की क्षमताओं, उसके व्यक्तित्व और सक्रियता से होता है।

वृद्धि और विकास में से महत्वपूर्ण क्या है ?

वृद्धि और विकास दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब शरीर की वृद्धि होती है, तभी बच्चे का सही विकास होता है। यही कारण है कि शुरूआती सालों में बच्चे की उम्र के हिसाब से लम्बाई/ऊंचाई और वजन पर नजर रखी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए कुछ मानक भी बनाए हैं। जिनसे हमें पता चलता है कि एक बच्चे का कब कितना वजन होना चाहिए। बच्चे की हर उम्र में निश्चित लम्बाई/ऊंचाई होना चाहिए। यही सही वृद्धि का सूचक है। बच्चों में कुपोषण जांचने के लिये उनकी लम्बाई/ऊंचाई के मान से वजन को मापा जाता है। यदि उसकी लम्बाई के अनुपात में वजन कम होता है, तो इसे बच्चे के विकास में गड़बड़ी के रूप में पहचाना जाता है।

क्या बच्चों की वृद्धि पर नजर रखने के लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है ?

हाँ; महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत हर गांव/बस्ती में चलने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में हर महीने 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन लिया जाता है। उनके वजन को हर महीने वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज किया जाता है। तब यह देखा जाता है कि

- पिछले 3–4 महीनों में बच्चों के वजन में वृद्धि हो रही है या नहीं। यदि चार्ट से पता चलता कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो इसे सही वृद्धि माना जाता है।
- यदि वजन बढ़ नहीं रहा है और स्थिर हो गया है तो इसे खतरे का संकेत माना जाता है।
- यदि वजन कम हो रहा है तो यह माना जाता है कि बच्चा खतरे की स्थिति में है ।

वर्तमान में आंगनवाड़ी में जिस आधार पर वृद्धि निगरानी की जाती है, उसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है -

उम्र	कितना वजन हो;	
	लड़का	लड़की
1 माह	3.4 कि.ग्रा.	3.2 कि.ग्रा.
3 माह	5.0 कि.ग्रा.	4.5 कि.ग्रा.
5 माह	6.0 कि.ग्रा.	5.4 कि.ग्रा.
6 माह	6.4 कि.ग्रा.	5.7 कि.ग्रा.
9 माह	7.1 कि.ग्रा.	6.5 कि.ग्रा.
12 माह	7.7 कि.ग्रा.	7.0 कि.ग्रा.
18 माह	9.1 कि.ग्रा.	8.1 कि.ग्रा.
24 माह	10.2 कि.ग्रा.	9.0 कि.ग्रा.
30 माह	10.5 कि.ग्रा.	10.0 कि.ग्रा.
36 माह	11.3 कि.ग्रा.	10.8 कि.ग्रा.

बच्चे के विकास का क्या मतलब है ?

बाल विकास, मनुष्य के जन्म से किशोरावस्था तक उनमें होने वाले सभी शारीरिक और मानसिक विकास को कहते हैं। जहाँ धीरे–धीरे बच्चा, दूसरों पर अपनी निर्भरता से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर होना सीखता है। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। खुद कुछ करने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये विकास निरन्तर होता है। विकास में आसपास का वातावरण और परिवार बहुत असर डालता है। विकास में शरीर के साथ दिमाग, व्यक्तित्व, आस–पड़ोस को समझने–महसूस करने की क्षमता का विकास भी शामिल होता है।

इस सन्दर्भ में हमारे समाज में क्या व्यवस्थाएं हैं ?

हमारे समाज में बच्चों के विकास और उनकी सही देखभाल के बारे में अच्छी समझ रही है। जब भी बच्चों के बारे में बात होती है तब उसे **पालन–पोषण** शब्द से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि समाज पालन के जरिये बच्चों की देखभाल के महत्व को परिभाषित करता है। पालन का मतलब है बच्चे को प्यार के साथ हर वह जरूरी देखभाल का हक देना, जो उसके लिए जरूरी है। हालाँकि यह भी सच है कि समुदाय और परिवारों में जाति आधारित और लैंगिक भेदभाव होता है। घरों में भोजन,

स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में होने वाले असमान व्यवहार से हम असुरक्षित गर्भावस्था, असुरक्षित और जटिल प्रसव, बीमारियों–विकलांगता, कुपोषण, संसाधनों की कमी के चक्र में फँस जाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से सम्बंधित परामर्श मिले और हर बच्चे को मुफ्त–गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वाले कार्यक्रम संचालित हों।

बच्चों के विकास की सीढ़ियाँ क्या हैं ?

बच्चों के विकास का मतलब है गर्भ में भ्रूण की अवस्था से लेकर जन्म के बाद छः वर्ष की उम्र तक बच्चे का संरक्षण और उसका विकास; हमें यह याद रखना होगा कि गर्भ में ही बच्चे की मांसपेशियों, कोशिकाओं से लेकर दिमाग तक का विकास शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को पूरा आराम, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक व्यवहार मिलना किसी भी नीति और कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

विकास के चरण

हम सभी अपने खुद के विकास की प्रक्रिया में अलग–अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। जन्म लेने के बाद नवजात शिशु की अवस्था से शिशु, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और युवा होने तक हम न केवल उम्र के भिन्न–भिन्न मुकामों से गुजरते हैं, बल्कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा व्यक्तित्व और बेहतर जीवन की संभावनाएं खास रूप लेती जाती हैं। हमारे शरीर और व्यक्तित्व में कुछ बातें जैविकीय होती है यानी कुछ बातें हमें अपने परिवार के सदस्यों, खास तौर पर माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी से मिलती हैं। बहुत सारी बातें विकसित करने में हमारे परिवार और समुदाय का माहौल, उनका व्यवहार और सही–पूरी देखरेख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जरा बचपन की इन अवस्थाओं को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर निरंतर विकास में विभिन्न चरणों से गुजरता है। यह विभिन्न चरण उम्र के अनुसार बांटे गए हैं क्योंकि हर उम्र में अलग–अलग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव होते हैं। इसी आधार पर बच्चे के विकास के निम्नलिखित चरण हो सकते हैं –

1. **प्रसव पूर्व अवधि** – यह बच्चे के विकास की प्रक्रिया में पहला चरण है। यह अवधि गर्भ में आने से लेकर बच्चे के पैदा होने तक का समय है। इस अवधि के दौरान, बच्चे का शरीर बनता है और जीवन को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी शारीरिक और मानसिक संरचनायें इसी समय में विकसित होती हैं। यह अवधि लगभग नौ माह या 270 से 280 दिन की होती है।

2. **नवजात शिशु अवस्था यानी जन्म से 1 महीने तक** – जन्म के बाद से लेकर एक महीने की उम्र तक की अवस्था नवजात शिशु अवस्था माना जाती है। जीवन के

सन्दर्भ में यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे के लिए तापमान से लेकर भोजन, हवा और व्यवहार तक; सब कुछ अलग होता है। शिशु के जीवन को सबसे ज्यादा खतरा भी इसी उम्र में होता है।

3. **शिशु अवस्था यानी जन्म के बाद से 1 साल तक** – एक साल की उम्र तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। इस उम्र में तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं – छः महीने की उम्र तक केवल माँ का दूध मिलना, छः महीने की उम्र से माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार का अनिवार्य रूप से शुरू होना और शिशु को स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा समेत सभी तरह का संरक्षण मिलना।

4. **नन्हे बच्चे यानी 1 साल से 2 साल की उम्र तक** – इस अवस्था में बच्चे अपनी बात को अभिव्यक्त करना सीखने लगते हैं। वे चल पाते हैं, वस्तुएं उठाने लगते हैं और गतिविधियां करते हैं, इसीलिए उनकी देखरेख बहुत जरूरी होती है। उनके भोजन–पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी जरूरी होती है।

5. **स्कूल–पूर्व बचपन यानी 3 से 5 साल तक की उम्र तक** – इस अवस्था में बच्चों का (घर एवं केंद्र में) एक समूह में बैठना शुरू हो सकता है। वे एक साथ खेलते और सीखते हैं। इस उम्र तक जीवन का 90 प्रतिशत तक शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। जो व्यक्ति के जीवन का आधार या नींव बन जाता है।

6. **स्कूल की उम्र यानी 6 से 12 वर्ष की उम्र तक** – बच्चे स्कूल में होते हैं। वे ज्यादा स्वतंत्र होना सीखते हैं। उनका आत्मविश्वास आकार लेना शुरू कर देता है।

7. **किशोर अवस्था यानी 13 से 18 वर्ष की उम्र तक** – इस दौरान भी बच्चे ज्यादातर वक्त स्कूली शिक्षा में होते हैं, किन्तु बदलावों के नजरिए से यह उम्र महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के नजरिए से सबसे संवेदनशील अवस्था होती है किशोर अवस्था। लड़के और लड़कियों, दोनों में ही इस उम्र में कई बदलाव होते हैं। उन्हें परिवार का साथ चाहिए होता है और अच्छे दोस्त भी। उनके मन में कई सवाल और दुविधाएं होती हैं। जरूरी है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएँ, जिससे वे सहज हो सकें और बदलावों का सामना कर सकें।

बच्चों के विकास के आयामों को हम कैसे समझ सकते हैं ?

बच्चों के विकास के आयाम वे पांच प्रमुख क्षेत्र हैं जो सही विकास को जानने में मदद करते हैं। ये हैं – शारीरिक, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक और भाषा विकास। यह क्षेत्र कई मायने में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक क्षेत्र का विकास धीरे–धीरे हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र पर उसका असर देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह यदि एक क्षेत्र का सही विकास हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में भी सही विकास देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए बात करना और सीखना यूँ तो भाषा का कौशल है पर साथ ही इसमें, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास भी शामिल है।

1. **शारीरिक विकास एवं मोटर (परिचालन) विकास**

अ **शारीरिक विकास** – शारीरिक विकास यानी शरीर के आकार, शक्ति और कौशल में वृद्धि। जन्म लेने के समय से शारीरिक विकास के द्वारा एक व्यक्ति अपने पूर्ण वयस्क आकार तक पहुँचता है। जैसे–जैसे कद और वजन बढ़ता जाता है वैसे–वैसे व्यक्ति के शारीरिक अनुपात भी बदलते हैं।

ब **मोटर (परिचालन) विकास** – जैसे–जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके शारीरिक विकास के साथ ही उसका मोटर (शरीर एक यंत्र भी तो है) विकास भी होने लगता है जो कि उसके मस्तिष्क और मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। मोटर विकास का मतलब है कि बच्चा अपने काम करने के तरीके, क्रिया और गति में सुधार लाता है। जिसमें बच्चा मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है – जैसे दौड़ना, भागना, पकड़ना, लिखना आदि।

2. **बौद्धिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास**

अ **बौद्धिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास** – मानसिक विकास से बच्चों की सोच, समझ और विचार करने की क्षमता बनती है। बच्चा धीरे–धीरे सीखने और याद रखने के लिए सक्षम बनता है। मानसिक विकास बच्चे के दिमाग, याददाश्त, बुद्धि का उपयोग एवं तर्क बनाने, समस्या समझने और सुलझाने और सोच के साथ जुड़ा होता है। मानसिक विकास बच्चे के मस्तिष्क पर निर्भर होता है। मस्तिष्क के विकास का शारीरिक विकास के साथ सीधा जुड़ाव होता है। बच्चे को यदि सही संज्ञानात्मक गतिविधियों से जोड़े रखेंगे तो बच्चे का दिमाग भी उतना ही विकसित होगा और वो बेहतर तर्क और समझ बना पाएगा।

3. **सामाजिक–भावनात्मक विकास**

अ **भावनात्मक विकास** – इस विकास में बच्चे की खुशी, भय और क्रोध जैसी भावनाओं की समझ, नियंत्रण और अभिव्यक्ति शामिल है। ये विकास बच्चे के आत्म सम्मान, आत्म मूल्य, विश्वास और माता – पिता और अभिभावकों से जुड़ाव के लिए जिम्मेदार होता है। भावनात्मक विकास से बच्चा खुद के बारे में सोचना शुरू करता है। खुद से गहरा सम्बन्ध बनाता है ।

ब **सामाजिक विकास** – यह समाज के साथ संबंधों का विकास है। इसमें बच्चा खुद को समाज से जोड़ता है। भाई–बहन, अभिभावकों, दोस्तों से सम्बन्ध बनाने की कोशिश करता है। प्यार भरा और संवेदनशील वातावरण, एक बच्चे के स्वस्थ भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बच्चे को अपने सामाजिक कौशल विकसित करने में, बातचीत करने में, खुद की और दूसरों की देखभाल करने में सहायक होता है। एक बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास उसके स्वास्थ्य, जीवन और वयस्कता के बारे में समझ बनाने और उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। यह बच्चे को भावनात्मक निर्णय लेने में मदद करता है।

4. भाषा विकास

भाषा का विकास यानी बच्चे की संवाद और बोलचाल की क्षमता और समझ का विकास। भाषा विकास, बोली जाने वाली भाषा, लिखित और मौखिक भाषा की समझ को भी कहते हैं। एक बच्चे की भाषा और भाषा कौशल उन्हें उनके आसपास के लोगों के साथ विचारों और भावनाओं को आदान-प्रदान करने का माध्यम बनती है। भाषा का विकास तीन तरह से होता है –

अ **ग्रहणशील भाषा (रिसेप्टिव)** – जब बच्चा शब्दों और वाक्यों को समझता और सीखता है।

ब **अर्थपूर्ण भाषा (एक्स्प्रेसिव)** – जब बच्चा टूटा-फूटा बोलता है, बताता है, और एक-दो शब्द बोलता है।

स **प्रतीकात्मक भाषा (सिम्बोलिक)** – जब बच्चा चिह्न और संकेतों को समझने लगता है और उनका उपयोग करने लगता है ।

विकास के सूचक और संकेत (विकास के आयाम)

जिस तरह सड़क के किनारे पर लगे पत्थरों (मील के पत्थर) को देख कर यह पता लगाया जाता है कि आगे आने वाला शहर कितनी दूर है या पीछे वाले शहर से कितनी दूर निकल आए हैं। उसी तरह जीवन की शुरूआत में भी कुछ स्थितियों को देखकर जाना जाता है कि बच्चे का विकास कैसा है ? यदि वह उम्र के अनुसार क्रियाएं नहीं कर पा रहा है तो यह एक समस्या हो सकती है।

जन्म के बाद एक शिशु ज्यादातर रोने और सोने का काम करता है। यदि आप उससे कुछ बात करने की कोशिश करेंगें तो वो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं परन्तु जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तब वे अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यदि उम्र के अनुसार विकास के निर्धारित चरण शिशु में नहीं देखे जाते हैं तो एक या दो महीने इंतजार करने के बाद किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाना चाहिए।

किस उम्र में बच्चे विकास के किस स्तर को छूते हैं, यह हम इस तालिका से समझ सकते हैं–

किस उम्र में कितना और कैसा विकास ?

1. जन्म से एक वर्ष तक (12 महीने)

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	0–4 माह	5–8 माह	9–12 माह
शारीरिक और मोटर विकास	• पूरे शरीर को हिलाता है। • हाथ पैर ऊपर–नीचे करता है। • खाने और सोने का तरीका तय करता है • शोर सुनकर विचलित होता है। • हाथ लगाने पर सिर घुमाने की कोशिश करता है। • मुंह पर हाथ रखेगा। • सिर उठाने की कोशिश करने लगता है। • पेट के बल लेटे होने पर कुहनी की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करना। • बिना किसी मदद के सिर को स्थिर रखना। • करवट लेने लगता है। • सहारे से बैठने लगता है। • तेज़ रोशनी में आंखें बंद करने लगता है। • सामने रखी चीजों को छूने और पकड़ने की कोशिश करता है।	• पैरों से खेलता है और मुंह में लेने की कोशिश करता है। • चीजें मुंह में लेने की कोशिश करता है। • खुद उलट–पलट सकता है। • खुद से बैठने की कोशिश करता है पर सहारे की जरूरत होती है। • पेट के बल लेटने पर सिर और हाथ उठाने की कोशिश करता है। • आगे घिसटने की कोशिश करता है • एक हाथ से चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। • दोनों हाथ और पैर इस्तेमाल करके आगे की तरफ रेंगता है। • एक हाथ में पकड़ी चीज़ को दूसरे हाथ में ले सकता है। • आवाज़ की तरफ सिर घुमाने की कोशिश करता है।	• सहारे से खड़ा होने लगता है। • अपने आप उठकर बैठने लगता है। • बिना सहारे के बैठ सकता है। • सहारे को पकड़ कर खड़ा हो जाता है। • पकड़ मजबूत हो जाती है। • गोल घूमता है। • फर्नीचर या कोई और चीज पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करते हैं। • खुद आगे बढ़कर चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। • छोटे खिलौनों को उठा कर उन्हें हिलाता है और फेंकता है। • घुटने चलने लगता है । • गेंद फेंक सकता है। • बिना सहारे कुछ कदम चल भी सकता है। • घुटनों के बल सीढ़ी चढ़ सकता है। • अकेले बिना सहारे खड़ा हो जाता है।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	0–4 माह	5–8 माह	9–12 माह
		• अपनी भाषा में बात करता है।	• कपड़े पहनाते समय हाथ-पैर फैला देता है। • चीजों को डिब्बे में रखने और निकालने का काम करेगा। • अगर उसे कुछ पढ़कर सुनाया जाये तो वह ध्यान से सुनता है। • खिलौने वाले ब्लाक जमा सकता है।
संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास	• एक ही तरफ देखने की कोशिश करता है। • परिचित लोगों और दूर रखी चीजों को भी पहचानने लगता है। • लगातार हंसना, खासकर लोगों को देखकर। • चमकीली चीजों की तरफ आकर्षित होता है। • चेहरों को ध्यान से देखता है। • यदि उसकी आंखों के सामने कोई चीज घुमाई जाये तो आंखें घुमाकर चीजों को देखता है। • आवाज होने पर सिर घुमाकर उधर देखने लगता है।	• झूलते हुए खिलौनों को पकड़ने और छूने की कोशिश करता है। • आईने में अपना चेहरा देखना पसंद करता है। • अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देता है। • चीजों को उत्सुकतावश देखता है और अपने से दूर रखी चीजों तक पहुंचने का प्रयास करता है। • हाथ के खिलौने को हिलाने की कोशिश करता है। • देर तक अकेला होने पर बोर होता है।	• बात करते वक्त इशारा समझता है और करने की कोशिश करता है। • कुछ बातें समझने की कोशिश करता है। • खिलौने गिरा कर उठाने की कोशिश करता है। • पानी से खेलना पसंद करता है। • खिलौने की आवाज़ सुनना पसंद करता है। • अपनी पसंद के खिलौने चुनता है। • किसी की आवाज और हाव-भाव की नकल उतार सकता है। • किसी चीज के गिरते समय गौर से देखता है कि वह कैसे गिरी ?

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	0–4 माह	5–8 माह	9–12 माह
	• अभिभावकों को पहचानने की कोशिश करता है।	• ऐसी गतिविधियां जो उसे अच्छी लगी हों वह उन्हें दोहराता है। • छुपी हुई चीजों को ढूंढ़ने की कोशिश करता है। • लुका छिपी जैसे खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। • झूलते हुए और लटके हुए खिलौने में दिलचस्पी लेते हैं। • सोने और खाने का समय और तरीका ज्यादा अच्छे से विकसित हो जाता है।	• अगर आप कोई चीज उसके सामने छिपा लें तो वह इस बात को समझ जाएगा। • किताब में चित्र देखने लगता है। • अजनबियों के सामने शर्माता है या घबरा जाता है। • मां-बाप के छोड़कर चले जाने पर रोता है।
सामाजिक विकास	• लोगों को देखकर मुस्कुराता है। • 20 सेमी की दूरी पर खड़े व्यक्ति के साथ आंख से संपर्क बनाता है। • ज्यादातर सोते हुए वक्त गुज़रता है।	• दूसरे बच्चों को प्रतिक्रिया देते हैं। • परिचित चेहरों को पहचानता है, पर अनजान लोगों से घबराता है। • खाना आते हुए देख कर खुश होते हैं या उत्साहित होते हैं।	• अजनबियों से डर सकता है। • अपने परिचित वयस्कों को कसकर पकड़ने लगता है। • दो चीजों को बजाकर देखेगा। • कुछ सामान्य निर्देशों जैसे 'खिलौना उठाओ' आदि को समझने लगेगा। • बड़ों को खिलौना दिखाते हैं पर देते नहीं।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	0–4 माह	5–8 माह	9–12 माह
भावनात्मक विकास	• संबंध विकसित करता है। • दुलारने पर प्रतिक्रिया देता है। • रोता है। • भूख लगने पर या असहज महसूस होने पर रोता है। • रोकर अपनी ज़रूरतों को बताने की कोशिश करता है।	• माता पिता और भाई बहन के सामने खुशी जताता है। • अंगूठा चूसकर को खुद को शांत करने की कोशिश करता है। • अनजान लोगों से दूर भागता है। • खुशी और गुस्सा जताने के लिए अलग-अलग आवाज निकालता है। • खेलने में दिलचस्पी लेने लगता है, खासतौर पर माता-पिता के साथ।	• माता-पिता के जाने पर रोता है। • अलग होने से घबराता है। • हाव-भाव की नकल उतारने लगेगा। • कुछ परिस्थितियों में डरता है।
भाषा का विकास	• बोलने की कोशिश करता है। उसके मुंह से गड़गड़ाने की आवाज निकलती है। • मुंह से 'आ', 'दा', 'मां', 'पा' जैसे शब्द बोलने की कोशिश करता है। साथ ही भूख लगने, दर्द होने या थकान पर अलग-अलग तरीके से रोकर बताता है। • रोता है। • छोटी और धीमी आवाजें निकालता है। • आवाजें सुनकर खुश होता है फिर वो बच्चे के खिलौने का ही क्यों न हो। • किसी बड़े से बात करते वक्त उनकी	• बच्चों के साथ बातें करने की कोशिश करता है। • आवाजें निकालता है और दोहराता है • बात करने की कोशिश करता है। • आवाजों की नक़ल करने की कोशिश करता है। • अपनी आवाज़ पर प्रतिक्रिया देता है, आवाज देने पर आवाज निकालकर जवाब देने लगता है। • 'म', 'ब' जैसी आवाज निकालता है। • बोलने की कोशिश में आ, ए, ओ जैसे	• अपने नाम को सुन कर प्रतिक्रिया देता है। • शब्दों के दोहराव जैसे बाबा, मामा, बाय बाय, बोलने लगता है। • 'न' शब्द को पहचानता है। • एक साथ 10 शब्द बोल सकता है। • मामा-पापा जैसे शब्द बोल लेता है। • किसी के जाने पर टाटा करता है।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	0–4 माह	5–8 माह	9–12 माह
	जुबान की नकल करने की कोशिश करता है। • नकल करके आवाजें निकालने की कोशिश करता है। • बबलाता है।	शब्दों को दोहराता है।	

2. एक से तीन वर्ष तक

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	1 साल	2 साल	3 साल
शारीरिक और मोटर विकास	• चलना, कूदना और दौड़ना। • खुद चलने लगेगा। • सीढ़ी चढ़ने और दौड़ने लगेगा। • चीजों को खुद घसीटने लगेगा। • गाना सुनकर नाचने लगता है। • बार-बार चीज़ें उठा के फेंकता है। • खुद खाने की कोशिश करता है। • दो-तीन ब्लाक को जोड़ने की कोशिश करता है।	• लाइन बनाने की नकल कर सकता है। • 6 ब्लाक जमा सकता है। • पीछे की ओर चल सकता है। • सीढ़ी उतर सकता है। • ढक्कन खोल सकता है। • फेंकी गई गेंद पर लक्ष्य कर सकता है। • पंजों के बल खड़ा हो सकता है। • गेंद को पैर से मारकर खेलता है। • दौड़ सकता है।	• अच्छे से कूद और दौड़ सकता है। • गोला बनाने की नकल कर सकता है। • बटन खोल सकता है। • 9 ब्लाक जमा सकता है। • तीन पहिये की साइकिल चला सकता है। • बड़ों की तरह सीढ़ियां चढ़ सकता है। • कैंची से कागज काट सकता है। • हाथ से गेंद कैच कर सकता है। • ऊंचे स्थान पर कुशलता से चढ़ लेना।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	1 साल	2 साल	3 साल
	• बड़े खिलौनों से खेलने लगता है। • खुद से पानी पीने लगता है।	• बिस्तर पर बिना मदद के चढ़ने-उतरने का काम कर सकता है। • दूसरे हाथ के मुकाबले एक हाथ का ज्यादा इस्तेमाल। • एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करता है। • दरवाज़े खोलने लगता है, कपड़े पहन लेता है।	• आसानी से दौड़ पाना। • खुद ही कपड़े पहन लेना और उतार पाना। • किताब के पन्ने पलट सकता है। • मिट्टी के खिलौने से खेलना सीखता है।
संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास	• कप में डाले गए पेय पदार्थ को खुद से पी सकेगा। • खिलौने को खींचते हुए चलने लगेगा। • अपने कपड़े उतारना सीख जाएगा। • चम्मच से खाना खाने लगेगा। • चीजों को उठाकर दूसरों को खेलने के लिए देगा। • किसी की ओर इशारा कर बताएगा कि वह क्या चाहता है। • अपने आसपास की कुछ सामान्य चीजों के बारे में जानने लगेगा, जैसे टेलीफोन, ब्रश, चम्मच वगैरह।	• दूसरों की, खासकर वयस्कों और बाकी बच्चों की नकल उतारने लगता है। • तस्वीरों के नाम बताए जाने पर वह उन्हें पहचानने की कोशिश करता है। • परिचितों के नाम और शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। • सामान्य निर्देशों को मानने लगता है। • किताब में चीजों की तरफ इशारा करना। • दो या तीन परतों में छिपे होने पर भी चीजों को ढूंढ निकालना। • आकृतियों और रंगों को पहचानना। • तस्वीरों वाली किताब में तस्वीरों को	• खिलौने के पुरजों के साथ खेलना पसंद करते हैं। • अपना लिंग व पूरा नाम जानता है। • वयस्कों और दोस्तों की नकल उतारना। • 'मेरा', 'उसका' या 'उसके', 'उसकी' चीजों को समझना। • दो या तीन चरणों के निर्देशों को समझकर उनका पालन करना। • अपनी सबसे परिचित वस्तु को नाम से बुलाना। • गुड़ियों, खिलौनों में पशुओं और लोगों को जीवंत मानकर उनसे खेलना।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	1 साल	2 साल	3 साल
	• अपने शरीर के किसी हिस्से की तरफ इशारा करने लगेगा। • एक चरण के जुबानी निर्देश को, जिसे इशारों में कहा गया हो, उसका पालन करने लगेगा; जैसे– बैठ जाओ।	पहचानने लगता है; जैसे बिल्ली, चिड़िया, कार, कुत्ता। • पानी और मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है। • नाटकीय खेल खेलना पसंद आता है। • नंबर की गिनती करने लगता है। • एक दो रंग पहचानने लगता है। • चित्र देख कर पक्षी और जानवरों के नाम पहचानने लगता है।	• तीन या चार चीजों वाली पहेली को समझ लेना। • काल्पनिक खेल खेलता है।
सामाजिक विकास	• दूसरे बच्चों को खेलने में थोड़ी मदद करता है। • अकेले खेलता है। • कोई दिलचस्प चीज दिखने पर वह दूसरों को दिखाएगा। • अपने आसपास की चीजों को खुद ही ढूंढ़ने की कोशिश करेगा। • खेलने में उत्साह दिखाता है।	• दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। • काल्पनिक खेल खेलता है। • अपने खिलौने जल्दी से दूसरों को देने को तैयार नहीं होता। • दूसरे बच्चों के साथ खेलने के अलावा वह अपने खेल में बच्चों को शामिल करने लगता है।	• दोस्तों को नकल करने की कोशिश करता है। • समूह में खेलता है। • समूह में खेलने के दौरान अपनी बारी का इंतजार करना। • अपने दोस्त का नाम लेना। • अपरिचित व्यक्तियों के बारे में बोलना और अमूमन अपरिचितों को समझ लेना।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	1 साल	2 साल	3 साल
भावनात्मक विकास	• कभी-कभी अजनबियों को देखकर घबराता है। • परिचित लोगों पर लाड़ जताएगा। • झुंझलाहट भी दिखा सकता है। • अपरिचित लोगों को देखकर डरेगा। • कुछ चीजों का ढोंग करने लगेगा; जैसे गुड़िया को खाना खिलाना। • नई परिस्थितियों में घबराकर देखभाल करने वाले को कसकर पकड़ लेगा। • चीजें उसके हिसाब से न होने पर झुंझला जाता है।	• माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से जुड़ाव महसूस करता है। • दूसरे बच्चों के साथ यह उत्साहित हो जाता है। • ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है। • उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना; जैसे किसी बात से मना करने पर उसे अनसुना करना। • दो से चार शब्दों वाले वाक्य बोलने लगता है। • दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है।	• अलग-अलग तरह से भावनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। • बगैर किसी उकसावे के अपने दोस्तों के प्रति प्यार जताना। • किसी दोस्त या परिचित को रोते देखकर चिंतित होना। • विभिन्न प्रकार की भावनाएं जताना। • अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव होने पर नाराज हो जाना।
भाषा का विकास	• कई अक्षरों को एक साथ बोलेगा। • सवाल बनाने की कोशिश करता है। • बोलकर या सिर हिलाकर ना बोलेगा। • पहला नाम लेने की कोशिश करता है। • गाने और कविताओं को सुनकर खुश होता है। • इशारों से बात करने की कोशिश करता है।	• खुद को मैं और मेरा कह कर बुलाने लगता है। • 'नहीं' शब्द अच्छा लगने लगता है। • 250 शब्द तक बोल सकता है। • बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अनजान व्यक्ति भी समझ सकता है। • बातचीत में बार-बार कहे गए शब्दों को वह दोहराने लगता है।	• 2-3 बार में ही निर्देश समझ जाते हैं। • रंगों के नाम बता सकता है। • पूरे वाक्य बोल सकता है। • 900 शब्दों का भण्डार होता है। • 'मैं', 'मुझे' और 'तुम' जैसे शब्दों के साथ ही कुछ बहुवचन जैसे कारें, कुत्ते, बिल्लियां को शब्दों में बोलना। • दो से तीन वाक्यों में बात कर लेना।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	1 साल	2 साल	3 साल
		• दो चरणों वाले निर्देशों को समझकर उनका पालन करना, जैसे 'अपने जूते उठाओ और उन्हें कमरे में रखो।' • कई सारे प्रश्न करता है। • गाना गाने की कोशिश करता है। • दो-चार शब्दों के वाक्य बनाने लगता है।	• बटन या लीवर वाले खिलौनों को समझ लेना। • दो का मतलब समझना। • किताब के पृष्ठ को एक बार में पलट लेना। • तीन अंकों को दोहरा सकता है और गिन सकता है। • परिचित चीजों और लोगों का नाम बता सकते हैं। • किसी के आने-जाने, बाहर, अंदर, जैसे शब्दों का मतलब समझ सकते हैं।

3. चार से छह वर्ष तक

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	4 साल	**5 साल**	**6 साल**
शारीरिक और मोटर विकास	• उचकने जैसी क्रियाएं कर सकता है। • उछलती हुई गेंद को पकड़ सकता है। • अपने खाने को मिला सकता है और अच्छे से खा सकता है। • चित्र बनाने लगता है। • गोलाई में दौड़ सकता है।	• एक पैर पर पांच सेकण्ड से ज्यादा समय के लिए खड़ा हो सकता है। • वर्ग, त्रिकोण जैसे आकार बना सकता है हिंदी और अंग्रेजी के शब्द लिखना सीख सकता है। • कलाबाजियां कर सकता है। • चम्मच और कटोरी से अच्छे से खा सकता है। • शौच के लिए खुद से जा सकता है। • झूल सकता है।	• कूदकर, उछल कर और फांद के तेजी से चल सकता है। • छोटी साइकिल चलाना सीख जाता है। • लिखने और चित्र बनाने के ज्यादा गुण विकसित कर लेता है। • खुद से कपड़े पहन सकता है। • खाली समय में खुद से चित्रकारी कर और खेल, खेल सकता है। • तेजी से होने वाली गतिविधियां पसंद आती हैं। • मौसमों को पहचान सकता है।
संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास	• कुछ रंग और संख्या को पहचान सकता है। • गिनती सीखता और समझता है। • वक्त समझने की कोशिश करता है। • कहानी के कुछ-कुछ हिस्से याद रखता है। • एक जैसे और अलग-अलग किस्म के सामान में फर्क कर सकता है।	• दस या उससे ज्यादा तक गिन सकता है। • एक व्यक्ति के छह से अधिक शरीर के हिस्से बना सकता है। • कुछ अक्षर और संख्या लिख सकता है। • आकार बनाना सीखता है। • रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों का उपयोग करना सीखता है।	• काल्पनिक और असली के बीच फर्क करना सीखता है। • एकाग्रता की अवधि बढ़ती है। • मृत्यु को समझने लगता है और माता पिता की मृत्यु का भय होने लगता है। • रोज़मर्रा की चीजों और घटनाओं को लेकर जिज्ञासा होती है।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	4 साल	5 साल	6 साल
	• एक व्यक्ति के शरीर के दो से चार हिस्सों का चित्र बना सकते हैं। • कैंची का उपयोग करने लगता है।		• जादू, भूत और काल्पनिक चरित्रों की कहानियां सुनने में मज़ा आता है।
सामाजिक विकास	• काम करना अच्छा लगता है। • काल्पनिक किरदार की भूमिका निभाना अच्छा लगता है, माँ-पिता का किरदार खेलना अच्छा लगता है। • दूसरे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। • दूसरे बच्चों का सहयोग करता है। • पसंदीदा और नपसंदीदा बातें बताता है।	• दोस्तों को खुश रखना अच्छा लगता है। • दोस्तों के जैसे बनने में अच्छा लगता है। • गाना, नाचना अच्छा लगता है। • अपने लिंग के बारे में पता होता है। • स्वतंत्र दिखना चाहता है। • समूह में खेलना चाहता है। • सबके साथ खेलना अच्छा लगता है। • एक दो अच्छे दोस्त बनाता है।	• भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करता है। • किसी परेशानी में खुद को आगे करता है। • माता-पिता के साथ ज्यादा जुड़ाव होता है। • अनजान चीज़ और लोगों का भय बढ़ जाता है।
भावनात्मक विकास	• कभी-कभी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। • मूड बार-बार बदलता है। • कभी रोते हैं तो कभी हँसते हैं। • कुछ अच्छा करने पर गर्व महसूस करता है।	• अपने से जुड़े लोग और छोटे बच्चों के साथ लगाव और स्नेह दिखाते हैं। • बड़ों से प्रेम की अपेक्षा करता है। • धीरे-धीरे भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। • दूसरों का मनोरंजन करना और हंसना पसंद आता है। • अपनी उपलब्धियों का दिखावा करते हैं।	• ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। • माता, पिता, अभिभावक और शिक्षकों से लगाव चाहते हैं। • दोस्ती में अनियमितता आ जाती है। • आलोचना, दोष या सजा से आहत हो सकते हैं। • कठोर हो सकते हैं। • दूसरों को अलग-अलग भावनाओं से देखते हैं।

विकास के आयाम (डोमेन)	विकास के सूचक और संकेत		
	4 साल	5 साल	6 साल
भाषा का विकास	• ऊपर-नीचे-आगे-पीछे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। • उसका, इसका, हमारा जैसे शब्दों का मतलब समझने लगते हैं और इस्तेमाल करते हैं। • क्यूँ, क्या, किसलिए, कितने जैसे सवालों का जवाब दे पाते हैं। • कहानी सुनते हैं।	• साफ़ बोलता है। • पूरी कहानी सही और साफ शब्दों के साथ बोल सकता है। • भविष्य काल का उपयोग कर सकता है जैसे - दादी आएँगी। • नाम और पता बोल सकता है।	• एक ही विषय पर लंबी कहानी बोल सकते हैं। • कहानी पूरी कह सकता है। • चुटकुले और पहेलियां सुनना और करना अच्छा लगता है। • विस्तार और सही व्याकरण के साथ वाक्य बना सकता है। • अधिक बातें करता है। • बड़ों जैसी बातें करने की कोशिश करता है। • 10-15 शब्द एक दिन में सीखता है। 10,000 से 14,000 शब्दों की शब्दावली होती है। • उचित क्रिया, काल, शब्द क्रम और वाक्य का उपयोग करता है।

कुछ-कुछ बच्चे निर्धारित उम्र से पहले भी इन कार्यों को करने लगते है, यह कोई गलत नहीं है। जबकि कुछ बच्चे इन्हें सीखने-समझने में देरी लगाते हैं। वे बच्चे जो इन बातों को समझने, सीखने में देर लगाते हैं या नाकाम रहते हैं, उन्हें समय पर और जल्दी उपचार और पुनर्वास की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बच्चे के डॉक्टर या नर्स को ये संकेत बताएं, ताकि समय रहते उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।

खुशबू हो हवाओं में चारों ओर
छोटी आँखों को भी मिले चहचहाती भोर,

ये कुदरत का इतना तो उसूल है
बचपन की नज़रें भी पहचान लेती हैं
मिजाज़ किसी का ममता का है
या छुअन में भी छिपा बैठा है कोई चोर,

रिश्ते हों जरा और गहरे,
जुबां शायद उनकी न बोल पाएगी
जरा पढ़ो उनकी चुप्पी को
उदासी उनकी बोलती है घनघोर,

वो सहम न जाएँ अपनों को देख कर
खेल खिलौनों से सजाओ जरा ये डोर;

अध्याय 5

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास

मौजूदा राज्य व्यवस्था और अनुभव

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास किस विभाग की जिम्मेदारी है ?

सच पूछिए तो प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास एक अच्छी और संवेदनशील शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। यह अब तक तय ही नहीं हो पाया है कि भारत में यह किसकी जिम्मेदारी है! आंगनवाड़ी का संचालन महिला और बाल विकास विभाग करता है, स्वास्थ्य और मातृत्व सेवाओं की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ थोड़ी-बहुत व्यवस्थाएं श्रम विभाग के जिम्मे हैं। शिक्षा का काम मानव संसाधन विभाग या शिक्षा विभाग करता है; अब ऐसे में किसे केन्द्रीय विभाग मानें ? बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास में शामिल पहलुओं के आधार पर यह बात साफ है कि इन सभी विभागों को एक एकीकृत और व्यापक सोच, एक कानूनी ताने-बाने के तहत लाया जाना जरूरी है।

क्या हमारे देश में कोई ऐसी सेवा या कानून है, जो प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास की जरूरत को ध्यान में रख कर बनाये गए हों ?

हाँ; प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये छः सेवाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह वर्ष 1975 में शुरू किया गया था, परन्तु इसमें कई कमियां हैं। जब हम इस तरह की एक सही और जरूरी व्यवस्था की बात करते हैं, तब एक संस्था के ढाँचे का चित्र हमारे सामने आता है। यह ढांचा एक प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र का है। जहां बच्चे दिन भर रहते, खेलते, सीखते और सोते हैं। घर के बाहर एक नए समूह में, नए वातावरण में रहने की क्षमता विकसित करते हैं।

ये केंद्र बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। वास्तव में सच बात यह है कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के लिए एक व्यापक नजरिए और उस पर आधारित एक कानूनी व्यवस्था की जरूरत थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है।

इस संस्था में जो लोग बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका प्रशिक्षित, प्रतिबद्ध और संवेदनशील होना सबसे जरूरी है; जो बच्चों को, उनकी भाषा और उनकी जरूरत को समझ सकें।

एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम

भारत में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका मकसद बच्चों के विकास को एक ठोस आधार प्रदान करना है। छह वर्ष से कम उम्र

के बच्चों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के तहत यह सेवाएं दी जाती हैं। कई कमियों के बावजूद प्रारंभिक बाल देखरेख की सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्यों के तहत यह कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। आईसीडीएस को सार्वभौमिक बनाने से पहले, शैक्षणिक धारा के जरिए ही स्कूल पूर्व शिक्षा के क्षेत्रों को खोलने की कोशिशें की गई थी। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) जैसे कार्यक्रमों ने देश के कुछ जिलों के प्राथमिक स्कूलों से जुड़े ईसीसीई केंद्रों के गठन में मदद की थी। इस परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं –

- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
- मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वयन प्राप्त करना।
- उचित समुदायिक शिक्षण द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना।

इस योजनांतर्गत निम्न सेवाएं दी जाती हैं –

- **पूरक पोषण आहार** – हर बच्चे, गर्भवती–धात्री महिला को आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये साल में 300 दिन पोषण आहार का प्रावधान है।
- **स्वास्थ्य जांच** – स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से हर बच्चे, किशोरी बालिका, गर्भवती और धात्री महिला की स्वास्थ्य जांच होना।
- **टीकाकरण** – हर बच्चे और गर्भवती महिला का टीकाकरण करवाना।
- **सन्दर्भ सेवा** – गंभीर कुपोषण की स्थिति, जटिल गर्भावस्था और जटिल प्रसव की स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य केंद्र या पोषण पुनर्वास केंद्र की ओर सही समय पर संदर्भित करना।
- **स्कूल पूर्व शिक्षा** – आंगनवाड़ी केन्द्रों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को सही दिशा देना; इसके लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी भी इस केंद्र के पास है।
- **परामर्श और गृह भेंट** – गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और गंभीर कुपोषित बच्चों के घर जाकर उन्हें पोषण–स्वास्थ्य व्यवहार से सम्बंधित जानकारी देना ताकि व्यवहार परिवर्तन हो।

- **वृद्धि निगरानी** – आंगनवाड़ी केंद्र में हर माह हर दर्ज बच्चे का वजन लिया जाता है। यह निगरानी रखी जाती है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है, स्थिर है या कम हो रहा है; ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके।

अब भी लगभग 35 प्रतिशत बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों से बाहर हैं और उनमें दी जा रही सेवाएं गुणवत्ताविहीन हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्र वास्तव में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हैं। उस व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव और सुधार की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास कार्यक्रम सबसे बड़ी उपेक्षा का शिकार है, जिसके परिणाम एक बच्चा, एक परिवार ही नहीं बल्कि मौजूदा समाज और भविष्य का समाज भोगेगा!

कमियां

एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम में कई ऐसी कमियां है, जो बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं –

- अब भी कई बसाहटों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं और कई बच्चे कार्यक्रम से बाहर हैं।
- तीन साल तक की उम्र के बच्चों के लिए देखरेख की व्यवस्था नहीं है।
- केंद्रों की ज्यादातर इमारतें खराब हैं, पीने के पानी और स्वच्छता की सुविधा नहीं है, खेलने और आराम के लिए व्यवस्था नहीं है – यानी ढांचागत व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हैं।
- सेवा देने वालों के लिए प्रेरणादायक माहौल नहीं है और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बहुत कमजोर है। उनके श्रम को सही मान्यता नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उन्हें वेतन नहीं, सीमित मानदेय भर मिलता है।
- ज्यादातर राज्यों में स्कूल–पूर्व शिक्षा लगभग नहीं के बराबर है।
- मानव संसाधन की कमी है।

राजीव गांधी (क्रेच) योजना

सार्वजनिक और वैधानिक प्रावधानों के जरिए क्रेच यानी झूलाघर सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी क्रेच योजना छह वर्ष से कम

उम्र के बच्चों को देखभाल और शिक्षा सेवाएं मुहैया कराती हैं। 2011–2012 के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 23,785 क्रेच (एमडब्ल्यूसीडी सालाना रिपोर्ट 2011–12) संचालित हो रहे हैं, जबकि 2006 के अनुमान के मुताबिक सिर्फ असंगठित क्षेत्र में 22 करोड़ महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 8 लाख झूलाघरों की आवश्यकता है। यह केवल संख्याओं की ही बात नहीं है, बल्कि हमें यह मानना होगा कि गुणवत्ता की दृष्टिकोण से भी संसाधनों का इसमें अभाव है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून/योजना

यह कानून कहता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला जो भी व्यक्ति काम की मांग करेगा, उसे काम की मांग के 15 दिन के भीतर काम दिया जाएगा। इसे काम के अधिकार का कानून कहते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि जिस कार्यस्थल पर 5 साल से कम उम्र के 5 या इससे ज्यादा बच्चे होंगे, वहां एक महिला को बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकेगी। यह एक तरह से अस्थायी प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसका क्रियान्वयन भी दिखाई नहीं देता; वही बात – कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

अभी यह एकमात्र मातृत्व सहयोग योजना है, जिसमें गर्भवती–धात्री महिला को दो किश्तों में छ: हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के उद्देश्यों में भी लिखा हुआ है कि इस योजना का मकसद महिला के वेतन/पारिश्रमिक का आंशिक भुगतान करना है ताकि उसे गर्भावस्था के अंतिम समय में मजदूरी करने के लिए बाध्य न होना पड़ा और उसे आराम का अवसर मिल सके। यह योजना वर्ष 2011 में एक प्रयोग के तौर पर देश के 52 जिलों में शुरू हुई थी। वर्ष 2015–16 में इसका विस्तार करते हुए 242 जिलों में लागू करने की योजना बनाई गई थी।

इस योजना का लाभ पाने के लिए कड़ी शर्तें लगाई गयी हैं इसीलिए यह योजना भी कई महिलाओं को मातृत्व हकों से वंचित करती है। इसका लाभ पाने के लिए महिला का 19 वर्ष का होना जरूरी है। यह लाभ दो बच्चों तक ही लिया जा सकता है। सवाल यह है कि आयु और गर्भधारण के सन्दर्भ में आज भी हमारा समाज महिला को कितनी स्वतंत्रता देता है ?

महिला कामगारों के लिए मौजूदा व्यवस्था

जहां महिलाएं काम करती हैं वहां सम्बंधित प्रतिष्ठान यानी नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करे । संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र

यह सेवा देने वाले दूसरे सबसे बड़े सेवा प्रदाता हैं। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र समाज के 35–40 प्रतिशत हिस्से को सेवा दे रहा है। इसका दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हालाँकि एक कानून, एक व्यवस्था और एक प्रतिबद्धता के अभाव में इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर बहुत सारे सवाल हैं।

स्वैच्छिक सेवा क्षेत्र में, छोटे स्तर पर पहल हुई है। ज्यादातर काम ट्रस्ट, सोसाइटियों, धार्मिक समूहों या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के सहयोग से हो रहा है।

बच्चों की देखरेख और मातृत्व हक देने के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाओं (शासकीय और निजी) गतिविधियों को आपस में मिलाने और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस विषय पर नियम बनाए, कानूनी व्यवस्था खड़ी करे और उनका क्रिन्यावयन करे। सरकार का काम केवल नीति और कानून बना कर एक तरफ रख देने तक सीमित नहीं है। मौजूदा स्थितियों के आंकलन से पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के हकों के प्रति सरकार का नजरिया उपेक्षा से भरा रहा है। जिन कानूनों में भी मातृत्व हकों और क्रेच से जुड़े प्रावधान हैं, उनके नियम ही नहीं बने हैं या बहुत कमजोर व्यवस्थाएं बनाई गयी हैं।

यह प्रमाण है कि छोटे बच्चों की देखभाल और विकास एक बहुत ही उपेक्षित विषय है। नीति के स्तर से लेकर राजनीति और अर्थनीति तक छोटे बच्चे देखरेख और विकास के अधिकार से वंचित कर दिए जा रहे हैं; क्योंकि या तो वे राजनीति प्रभावित नहीं करते है या फिर इसलिए उपेक्षित हैं क्योंकि अभी वे श्रम और सेवा करने की स्थिति में नहीं हैं; इससे वे अनुपयोगी मान लिए जाते हैं।

हमारे देश में चल रही सेवाओं की स्थिति क्या है ?

एक से ज्यादा सेवा प्रदाता होने के बाद भी आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल बच्चों की वास्तविक संख्या और सेवाओं की उपलब्धता, सेवाओं के प्रकार के संबंध में भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। छह वर्ष से कम उम्र के 15.87 करोड़ बच्चों (जनगणना 2011) में से करीब 7.57 करोड़ बच्चे, यानी 48 प्रतिशत आईसीडीएस के दायरे में आते हैं (एमडब्ल्यूसीडी, 2011)। मोटे तौर पर अनुमान बताते हैं कि कामकाजी व्यक्तियों (पालकों) के साथ निजी क्षेत्र में भी काफी बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। इसके अलावा एनजीओ सेक्टर के दायरे में भी कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन इन्हें लेकर कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

इन अलग–अलग सेवा प्रदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा–शुरुआती देखरेख और विकास की अवधारणा एक समान नहीं है। इसका दायरा सीमित शिक्षा के नजरिए से लेकर मशरूम की तरह उग रहे त्वरित शैक्षिक कार्यक्रमों तक ही सीमित है । यह मोटे तौर पर सभी पक्षों में बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) की अवधारणा, उसकी बुनियादी जरूरतों, उसका मनोविज्ञान और महत्व की अपर्याप्त समझ का ही नतीजा है। प्रणाली में अपर्याप्त संस्थागत

क्षमता, प्रशिक्षण प्रणालियों की कमी और प्रशिक्षण क्षमता, प्रशिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रम और प्रणालियों का अभाव तथा मानकों, नियामक मापदंडों और तंत्र की गैर मौजूदगी से यह समस्या और बढ़ गई है। वास्तव में हर बच्चे को अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखरेख और विकास का हक मिले, इसके लिए ऐसी कानूनी व्यवस्था की जरूरत है, जो सेवा देने वालों को जवाबदेह बनाए, सभी जरूरी संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध करवाए, सेवा देने वालों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था दे और नियमित रूप से बच्चों के इस हक की वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करता रहे।

उपरोक्त संदर्भ में, देशभर में छह वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे के शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को सरकारी नीति (2013) के तौर पर सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

इस सेवा से जुड़े लोगों का सम्मान और आदर जरूरी है, प्रतिष्ठित पदनाम के साथ ही अलग-अलग कौशल और जिम्मेदारियों के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। शुरुआती बचपन की देखभाल और विकास से जुड़े लोग वह होते हैं, जो अलग-अलग आयु समूह के बच्चों की देखभाल और विकास के लिए काम करते हैं और जो सीधे बच्चों के साथ काम करते हैं। फिलहाल इन्हें कर्मचारी, सहायक, बाल सेविका और शिक्षक के तौर पर जाना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं।

बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के काम में जुटे कर्मचारियों (जिन्हें अब तक कार्यकर्ता कहा जाता है) कई तरह के संकट और उपेक्षाओं का सामना करते हैं –

- उन्हें एक सम्मानजनक पहचान नहीं मिल पाई है;
- उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है;
- प्रशिक्षण और प्रोत्साहन का अभाव बनाए रखा गया है;
- उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

बाग अपना
ऐसा न बर्बाद कीजिये,
फूल न कोई यहाँ
खिल सके

खुशबू का दावा
हुक्मरान करते रहे,
कलियाँ खिले बिना
मुरझाती रहीं ;

अध्याय 6

राज्य की भूमिका, जिम्मेदारी, नीतियां और कानून

अधिकार आधारित नजरिया

संदर्भ

जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसका उल्लेख भारत के 13 कानूनों, 13 नीतियों और संयुक्त राष्ट्र की 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियों/समझौतों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस विषय से व्यवस्था अनभिज्ञ है। सच बस यह है कि सरकारों और उनकी नीतियों का नजरिया बिखरा-बिखरा है। अब तक का कोई भी कानून प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास को पोषण, स्वास्थ्य, खेल-खेल में शिक्षा, सुरक्षा एवं देखरेख के अधिकार को समग्रता में नहीं देखता है।

अब तक के लगभग सारे प्रयास महज औपचारिकता भर हैं। जिनमें समाज और संस्थाओं के स्तर पर इस मसले पर प्रशिक्षण के साथ देखरेख का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कुछ कानूनों में क्रेच का प्रावधान है, किन्तु क्रेच के ढाँचे, सेवाओं की गुणवत्ता, बच्चों के विकास, जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और जवाबदेहिता के बारे में एक भी कानून बात नहीं करता है। भारत में लगभग 93 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए यह एक बुनियादी जरूरत है, जिसका कभी संज्ञान नहीं लिया गया।

नजरिए के बिखरे होने का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सरकार ने शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम 1993 (2003 में संशोधित) बनाया। अधिनियम कहता है कि शिशुओं को बाजार के या डिब्बाबंद उत्पाद नहीं दिए जायेंगे, उन्हें माँ का दूध मिलना चाहिए, किन्तु यह विचार किया नहीं गया कि जब महिलाएं कामकाज में जुटी हुई हैं, तो उन्हें बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत भी तो होगी। उस व्यवस्था के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

अब भी भारत में प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के विषय पर सरकार का नजरिया व्यापक नहीं है। बहुत सारे टुकड़े हैं, जो अलग-अलग विभागों, कार्यक्रमों और कानूनों में बिखरे हुए हैं। बहुत संघर्षों के बाद वर्ष 2013 एक नीति बनी। बिना कानूनी स्तंभों के बनी इस नीति के क्रियान्वयन के लिए अभी तक कोई खास पहल नहीं हैं। हमारे पास आंगनवाड़ी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कानून हैं, किन्तु प्रतिबद्ध क्रियान्वयन की कमी ने इन्हें भी निष्प्रभावी करके रख दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद बच्चों के पोषण का अधिकार एक कानूनी हक बन गया है। आंगनवाड़ी और स्कूल के तहत पोषण आहार और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य की जिम्मेदारी है। इसी तरह पहली बार सभी महिलाओं को मातृत्व हक मिलने की संभावना भी इसी कानून से पैदा हुई है। यह कानून कहता है कि हर गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ के रूप में 6000 रुपए की सहायता दी जायेगी। कुछ कानूनी प्रावधान को हैं, किन्तु उनके क्रियान्वयन के प्रति व्यवस्था ईमानदार और संवेदनशील नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जिस तरह की बाल केंद्रित राष्ट्रीय मंशा, राजनीतिक प्रतिबद्धता और संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत है, उससे हमारा समाज अभी वंचित है।

क्या प्रारंभिक बाल देखरेख, विकास और मातृत्व हक बच्चों एवं महिलाओं के अधिकार हैं ?

संविधान के नज़रिए से हक

सबसे पहला बुनियादी सवाल तो यही है कि अपने आहार के प्रति बच्चों का कोई हक बनता भी है या नहीं ? जी हां, बिलकुल बनता है। भूख के विविध वर्तमान स्तर भारतीय संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका (पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार व अन्य) में यह स्थापित किया है कि खाद्य सुरक्षा जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के हक को इंसान का मूलभूत अधिकार बताया गया है। इसके अनुसार- 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण-किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।[1]'

मातृ मृत्यु, शिशु और बाल मृत्यु भी जीवन के अधिकार से ही जुड़े हुए पहलू हैं।

अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध - चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। (शोषण के विरुद्ध अधिकार)।

(इस अनुच्छेद के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट (क्रमांक 259) में अनुशंसा की है कि एक नया अनुच्छेद 23 ए जोड़ा जाना चाहिए-'हर बच्चे को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए देखरेख और सहायता पाने और हर तरह की उपेक्षा, क्षति और शोषण से सुरक्षित रहने का अधिकार होगा'।)

अनुच्छेद 39 (ङ) - पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। (राज्य की नीति के निदेशक तत्व)

अनुच्छेद 42 - काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध - राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

1 मौलिक अधिकार, भारत का संविधान।

अनुच्छेद 45 – [संविधान (86 वाँ संशोधन) अधिनियम 2002 से प्रवर्तित] – 'राज्य सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जब तक वे छ: वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।[2]'

अनुच्छेद 47 – पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य – राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य, विशिष्टया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा'।[3]

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश[4]

वर्ष 2001 में भारत में खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अधिकारों पर राज्य की जिम्मेदारी के संदर्भ में पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज़ ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (196/2001) दायर की।

पीयूसीएल बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है – 'न्यायालय इस बात को लेकर चिन्तित है कि समाज के निर्धन व बेसहारा व कमजोर तबके भूख व भुखमरी से न पीड़ित रहें। भूख और भुखमरी को रोकना सरकार – केन्द्र व राज्य, दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब यह सब कैसे सुनिश्चित हो, एक नीतिगत मसला है जिसे सरकार को सुलझाना होगा। न्यायालय तो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी गोदामों में भरा पड़ा अनाज न तो समुद्र में फिंके और न ही चूहों का भोजन बने। बिना क्रियान्वयन के नीतियां निरर्थक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जो भूख और भुखमरी के शिकार हैं।'

इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से कहा है कि 'वह अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस) का सर्वव्यापीकरण करे। इसका आशय है कि छह साल तक के हर बच्चे को आई.सी.डी.एस के तहत सभी छह सुविधाएं गुणात्मक रूप से पाने का अधिकार है। इसके साथ न्यायालय यह भी हवाला देता है कि देश की सभी बसाहटों में एक–एक आई.सी.डी.एस. केन्द्र होना चाहिये।'

इसी तरह हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को भी महिलाओं के हक की योजना के रूप में परिभाषित किया।

---

2 नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान (राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई सी सी ई) नीति के पृष्ठ 18 पर उद्धृत)।

3 नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान।

4 आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को थोडा विस्तार से परिशिष्ट – एक में देखें।

बच्चों के पोषण, देखरेख, विकास एवं मातृत्व हकों को परिभाषित करने वाली प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएं और संधियाँ कौन सी हैं ?

संयुक्त राष्ट्र संघ

मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौम घोषणा कहती है कि हरेक व्यक्ति को अपने व परिवार की भलाई व बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसे जीवन-स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान व स्वास्थ्य सेवा व आवश्यक सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं।[5]

इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते के बिंदु 11 के अनुसार –

(1) इससे जुड़े सारे देश अपनी जनता को पर्याप्त आहार, वस्त्र, आवास सहित एक यथेष्ठ जीवन-स्तर व इसमें लगातार बेहतरी करने के प्रत्येक नागरिक व उसके परिवार के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं।

(2) इस प्रतिज्ञा पत्र के मुताबिक सारे देश अपने यहां हर व्यक्ति की भूख से मुक्ति सम्बंधी मूलभूत अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं और वह खुद या अंतराष्ट्रीय सहयोग से ऐसे कदम उठाएंगे जो भी इसे लागू करने के लिए जरूरी हों।[6]

लेकिन बच्चों के लिए ये प्रावधान ठीक ऐसे नहीं हैं। बच्चों की विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं के संदर्भ में ही इन्हें देखा व आत्मसात किया जाना चाहिये, कारण कि आहार व पोषण सम्बंधी उनके नैसर्गिक अधिकार ही उनकी उत्तरजीविता, विकास व गरिमा की नींव हैं।

बाल-अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (1989) के अनुच्छेद 23[7] के मुताबिक –

1. समझौते में शामिल देश बीमारी के उपचार और फिर स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य सम्बन्धी मानक सुविधाएँ प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं। समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बच्चे को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं पाने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

5 http://www.un.org/en/documents/udhr/

6 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

7 पृष्ठ 10, बच्चों के अधिकार वैकल्पिक प्रोटोकाल सहित; बच्चे और हमारी जिम्मेदारी; यूनिसेफ का प्रकाशन

2. (ग) बीमारी और कुपोषण दूर करने के प्रयास करना; इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारंभिक देखभाल के दायरे में, अन्य बातों के अलावा, तुरंत और आसानी से उपलब्ध टेक्नोलोजी के जरिये और पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पेयजल उपलब्ध करके और पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, बीमारी और कुपोषण को दूर करने के प्रयास शामिल हैं।

2. (घ) बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माताओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल सुनिश्चित करना;

3. इसमें पोषण-सम्बंधी बच्चों के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या है। यह बाल अधिकार समझौता कहता है, 'इस पर दस्तखत करने वाले सभी देश इस अधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और खासतौर पर इसके लिए उपयुक्त कदम उठायें; जैसे- रोग एवं कुपोषण से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ तुरन्त उपलब्ध टेक्नोलोजी का प्रयोग व पर्याप्त पौष्टिक आहार व पीने का साफ पानी मुहैया कराना।'

खाद्य एवं कृषि संगठन बाल-अधिकारों पर समझौते (सी.आर.सी.) का हवाला देता है। जिसकी धारा 21 (1) में कहा गया है कि सभी बच्चों को एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार है, जो उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास के हिसाब से पर्याप्त हो। हस्ताक्षरकर्ता देशों से सी.आर.सी की अपेक्षा है कि वे बाल-कुपोषण को खत्म करेंगे (धारा 23 (2)सी)); खासकर पोषण के संदर्भ में 'एक अच्छे जीवन-स्तर हेतु बच्चों के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रति माता-पिता के प्राथमिक कर्तव्य पालन में मददगार होने में उपयुक्त कदम उठायेंगे (धारा 27 (3))।'

इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों में बार-बार बच्चों के पोषण के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और वायदा किया गया है कि समाज और सरकार मिलकर बच्चों के पोषण का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

महिलाओं के प्रति होने वाली हर तरह की हिंसा के खिलाफ हुए सम्मेलन के समझौते (सीडा) के मुताबिक

1 सभी देश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे।

2 इसी बिंदु के सन्दर्भ में हर देश यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के गर्भावस्था से जुड़ी हुई सभी सेवाएं, प्रसव पश्चात सहायता, जरूरत पर मुफ्त सेवाएं और गर्भावस्था-स्तनपान की अवधि में पोषण की व्यवस्था।

3 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, खास तौर पर सेवा निवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और अन्य ऐसी अवस्थाओं में जब वे काम कर पाने की स्थिति में न हों और इसके साथ ही वेतन के साथ अवकाश का अधिकार।

सरकार की भूमिका

हर बच्चे को जीने, विकास, सुरक्षा और हर तरह के विकास का अधिकार है। इसके लिए उचित देखभाल एवं माहौल में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, बौद्धिक और भावनात्मक जरूरतों के बीच सह-क्रियाशील और एक-दूसरे पर आश्रित संबंधों को पहचानने की जरूरत है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी उचित नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के जरिए अभिभावकों, परिवारों को इन अधिकारों को समझने में मदद देना है। इसी सन्दर्भ में राज्य की भूमिका है कि वह निजी क्षेत्रों में या उनके द्वारा चलाये जा रहे प्रारंभिक देखभाल कार्यक्रमों के लिए नियम बनाये और उन्हें लागू करे। हमें यह याद रखना होगा कि हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित और सम्मानजनक प्रारंभिक देखभाल और विकास कार्यक्रम के तहत कानूनी हक मिलना चाहिए।

बच्चे के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचा बनाया जाए। शुरुआती बचपन का तात्पर्य है - जन्म से छह साल की उम्र तक की अवधि। बच्चे एक-समान समूह नहीं है। उनकी जरूरतें भी अलग है और हल भी। खासकर अलग-अलग हालात में बच्चों को बहुआयामी खतरों का सामना करना होता है। बच्चों के सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, स्थायी, बहु-क्षेत्रीय, एकीकृत और समावेशी नजरिया जरूरी है।

लोग कई पीढ़ियों से सुविधाओं से वंचित हैं। यदि इस पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही समस्या को खत्म करना है तो बचपन में ही निवेश करना होगा। समानता का पाठ पढ़ाना होगा। तभी आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक फायदों की ओर बढ़ सकेंगे। जिंदगीभर सीखने और आगे बढ़ने के लिए शुरुआती बचपन में उचित देखभाल और विकास सबसे आवश्यक है। यह जीवन की बुनियाद है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सफलता पर इसका महत्वपूर्ण असर भी दिखता है। बच्चे के विकास को सहयोग देने के लिए परिवारों, समुदायों और सरकार को हर परिस्थिति में बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद, सीखने-समझने और शिक्षा के मौके मुहैया करने होंगे। यह ईसीडी में आने वाले ऐसे काम हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

यह केवल बच्चों का मामला नहीं है। देश में अपनाई जा रही विकास की नीतियों के बच्चों और महिलाओं पर पड़ने वाले असर पर निगरानी रखना और उनके मुताबिक नीतियों में सुधार करना भी सरकार की अहम् जिम्मेदारी है। केवल एक जुमले की तरह उनकी चिंता जताते हुए, ऐसी नीतियों को आगे नहीं बढ़ाते जाना चाहिए, जो बच्चों के विकास और महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हों।

अभी सरकार का नजरिया क्या है ?

भारत सरकार द्वारा बनाई गयी राष्ट्रीय बाल नीति (2013) कहती है कि स्वस्थ बच्चा चाहिए तो गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां के अधिकारों को सुनिश्चित

करना होगा। महिलाओं के अधिकार तभी सुनिश्चित होंगे जब परिवार की जीवित रहने, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतें पूरी होती रहें। मां, परिवार और बच्चों के उन अधिकारों को पहचानना जरूरी है जो एक-दूसरे से सीधा जुड़ाव रखते हैं। बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण के लिए परिवारों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराना होगा।[8] ऐसे में छोटे बच्चों की देखभाल और विकास के अधिकारों से जुड़ा नजरिया दोगुना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें गर्भधारण के बाद से ही गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली मां के अधिकारों के साथ ही बच्चे के जन्म से छह वर्ष की उम्र तक की अवधि के अधिकार भी जुड़े हुये हैं।

गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली मां के अधिकारों में स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मातृत्व लाभों के अधिकार शामिल हैं। बच्चे के अधिकारों में स्वास्थ्य, पोषण, उम्र-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना, संवेदनशील देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गयी यह नीति प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र की स्थापना और एक व्यापक नज़रिए की वकालत करती है। बहरहाल अभी इसे लागू करने के लिए एक प्रतिबद्ध कार्ययोजना बनाई जाना बाकी है।

इसके साथ ही सरकार ने प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा नीति (ईसीसीई नीति) 2013 बनाई। यह नीति कहती है कि बच्चों की उम्र की जरूरत के हिसाब से व्यवस्था बनाये जाने की जरूरत है। इसमें जन्म से तीन साल तक के बच्चों को घर और बाल विकास केन्द्रों में सुरक्षित, विकास को प्रोत्साहित करने वाला और सकारात्मक वातावरण स्थापित करने की बात कही गयी है। इस नीति से पता चलता है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना को मजबूत बना कर इसे लागू किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013[9]

बिंदु 1.1 - प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन के निर्माण के प्रथम छः वर्षों की वह अवस्था है जिसकी आयु विशिष्ट जरूरतों वाली भली भांति चिन्हित उप अवस्थाएं (गर्भ धारण से जन्म तक, जन्म से तीन साल तक, तीन साल से छः साल तक) है जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करती है। यह सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि है और यह उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाण यह पुष्टि करते हैं की इस अवधि में मस्तिष्क के विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं आती हैं, जो पूरे जीवन चक्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गों (पाथ वे) और व्यवहार को प्रभावित करती है। जीवन के इस स्तर पर आई कमियां मानव विकास में स्थायी और संचयी विपरीत प्रभाव डालती हैं।

8 इस बिंदु के सन्दर्भ में हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। किन्ही स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा से सम्बंधित परिस्थितियों में चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति है। इसका जुड़ाव महिला के जीवन के अधिकार से भी है।

9 http://wcd.nic.in/schemes/ECCE/ecce_01102013_hin.pdf

बिंदु 1.2 – राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करता है। यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए एक अपरिहार्य आधार है जिसका प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ई.सी.सी.ई. को वरीयता दिया जाना और इसमें निवेश करना आवश्यक है।

बिंदु 1.4 – राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसव पूर्व अवधि से छह वर्ष की आयु तक सतत रूप से समेकित सेवाएं प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है।

बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

'प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु को पूरा करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध करने की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।'[10]

प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास – कानून, योजनाएं और नीतियां

इनसे सम्बंधित मौजूदा कानूनी व्यवस्थाएं ये हैं –

पोषण से जुड़े कानून

- शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1993 (2003 में संशोधित)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013

10 http://wcd.nic.in/schemes/ECCE/ecce_01102013_hin.pdf

बच्चों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले अन्य कानून

- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
- **विशेष कानून** – मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

क्रेच से जुड़े कानून

- फैक्ट्री अधिनियम, 1954
- खदान अधिनियम, 1952
- वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951
- बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966
- ठेका श्रम अधिनियम, 1970
- भवन निर्माण और अन्य संनिर्माण मजदूर अधिनियम, 1996
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून / योजना

कानून और नियमों के लिए केंद्र व राज्य की शक्तियां

- युवा बच्चों के मुद्दे भारत के संविधान की समवर्ती सूची या राज्य सूची का हिस्सा हैं। इस वजह से, राज्य सरकारें बच्चों के मुद्दों पर अपने कानून और नीतियां बना सकती हैं (जैसे तमिलनाडु समान शिक्षा अधिनियम, 2009)।
- बच्चों के संबंध में केंद्र सरकार के कानून को लागू करने के लिए भी राज्य सरकारों को अपने नियम बनाने होते हैं।

नीतिगत ढांचा

- 1974 राष्ट्रीय बाल नीति (समीक्षाधीन)
- 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- 1992 और 2005 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना
- 1992 दक्षेस बालिका दशक (1991-2000) के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना
- 1993 राष्ट्रीय पोषण नीति
- 1998 महिलाओं और बच्चों की ट्रैफिकिंग और व्यवसायिक यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना
- 1998 मानसिक विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति
- 2002 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
- 2003 राष्ट्रीय बाल चार्टर
- 2005 ह्यूमन इम्युनो डिफिशियंसी वायर (एचआईवी) - एक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियंसी सिंड्रोम (एड्स) से पीड़ित बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसी)
- 2005 विकलांग बच्चों एवं युवाओं की एकीकृत शिक्षा के लिए कार्ययोजना
- 2006 विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति
- 2013 राष्ट्रीय बाल नीति
- 2013 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (ईसीसीई नीति)

क्या बच्चों की देखरेख और विकास के बारे में राज्य ने कभी कोई भूमिका या जिम्मेदारी ली है ?

पिछले एक सौ सालों में अलग-अलग अवसरों पर बच्चों और महिलाओं के इन हकों पर खूब चर्चा हुई है। आयोग और समितियां भी बनीं। यह भी माना गया कि बच्चों

की देखभाल और मातृत्व हक मानवीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम दो नज़रियों से देख सकते हैं –

1. श्रम कानून के तहत जिम्मेदारी के रूप में

2. महिलाओं और बच्चों के हक के रूप में

श्रम कानून के तहत जिम्मेदारी के रूप में

पिछले 9 दशकों में भारत में बने श्रम कानूनों में एक हद तक मातृत्व हकों और छोटे बच्चों की जरूरत को पहचाना गया है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता की जरूरत थी, वह कभी दिखाई नहीं गयी। बच्चों की देखभाल और विकास केंद्र की जरूरत पर वर्ष 1931 में भारत में श्रम पर बने रायल कमीशन ने यह माना कि काम के स्थानों पर बच्चों की देखभाल के लिए प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र होना चाहिए। इस आयोग का सुझाव था कि हर उस कारखाने में क्रेच स्थापित किये जाएं, जहाँ 250 या इससे ज्यादा लोग काम करते हैं। इस आयोग ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय सरकारों के पास यह अधिकार हो कि वे चाहें तो उन कारखानों में भी बच्चों की देखरेख और विकास केंद्र स्थापित करवाएं जहाँ 250 के कम लोग काम करते हैं। इसका प्रावधान 1933 के कारखाना अधिनियम में किया गया।

फैक्ट्री एक्ट, 1938 – जहाँ 50 महिला कामगार होंगी वहां एक व्यवस्थित कमरे की व्यवस्था होगी। वहाँ बच्चों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित महिला नियुक्त होगी। इस कानून में बच्चों की देखरेख और विकास केंद्र का स्थान और उसकी व्यवस्था, पूरक आहार, स्तनपान, बुनियादी सुविधाएँ आदि के बारे नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया।

प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 – जहां 50 महिला कामगार होंगी और बच्चों की संख्या कम से कम 20 होगी, वहां एक व्यवस्थित कमरे की व्यवस्था होगी। वहां बच्चों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित महिला नियुक्त होगी। इसमें भी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।

माइंस एक्ट, 1952 – इसमें कामगारों या बच्चों की संख्या का उल्लेख नहीं है; पर यह कहा गया है कि वहां पर एक व्यवस्थित कमरे की व्यवस्था होगी। वहाँ बच्चों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित महिला नियुक्त होगी। इसमें नियम बनाने के अधिकार केंद्र सरकार के पास रहे।

बीड़ी-सिगार वर्कर्स (कंडीशंस आफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, 1970 – जहाँ 20 कामगार होंगे वहां बच्चों के लिए दो कमरों की व्यवस्था होगी। एक कमरा बच्चों के खेलने और एक कमरा उनके सोने/आराम के लिए होगा। नियम बनाने का अधिकार मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र सरकार) के पास रहा।

इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1980 – वहां बच्चों के लिए दो कमरों की व्यावस्था होगी। एक कमरा बच्चों के खेलने और एक कमरा उनके सोने/आराम के लिए होगा। नियम बनाने का अधिकार मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र सरकार) के पास रहा।

बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट एंड कंडीशन आफ वर्क) एक्ट, 1996 – जहाँ 50 कामगार हों, वहाँ बच्चों के लिए दो कमरों की व्यवस्था होगी। एक कमरा बच्चों के खेलने और एक कमरा उनके सोने/आराम के लिए होगा। नियम बनाने का अधिकार मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र सरकार) के पास रहा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 – जिस कार्यस्थल पर 5 या इससे ज्यादा बच्चे होंगे वहाँ एक महिला (जो कार्यस्थल पर काम कर रही हैं) की नियुक्ति बच्चों की देखभाल के लिए की जायेगी। इसमें कहा गया कि बच्चों के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था की जायेगी।

इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि सरकारें बच्चों की देखरेख और विकास केंद्र की जरुरत से अनजान नहीं हैं, किन्तु उन्हें यह विषय कभी बहुत महत्वपूर्ण लगा नहीं। यही कारण है कि भारत के श्रम विभाग अपने प्रतिवेदनों में इन कानूनों के तहत चल रहे झूलाघरों का कोई ठोस विश्लेषण ही पेश नहीं करते हैं।

क्या मातृत्व हकों के बारे में राज्य ने कभी कोई भूमिका या जिम्मेदारी ली है ?

मातृत्व हकों के बारे में बात करने वाले कानून

भारत में बने कुछ कानून, जैसे द प्लांटेशन एक्ट, द माइंस एक्ट, बीड़ी-सिगार वर्कर्स (कंडीशंस आफ एम्प्लायमेंट) एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट एंड कंडीशन आफ वर्क) एक्ट क्रेच के साथ-साथ महिला कामगारों के गर्भवती-धात्री होने की अवस्था में उन्हें वेतन के साथ छुट्टी देने का प्रावधान करते हैं।

बीड़ी-सिगार वर्कर्स (कंडीशंस आफ एम्प्लायमेंट) एक्ट में प्रावधान है कि पहले दो बच्चों के जन्म पर 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 – भारत में पहली बार इस कानून में कार्यशील महिला को वेतन के साथ छुट्टी पाने का हक दिया। इसका जुड़ाव हमारे संविधान में दिए गए काम करने के मौलिक अधिकार को महिलाओं के लिए लागू करने से है। इस कानून में प्रसव के पहले 80 दिन और प्रसव के बाद 80 दिन का अवकाश पाने का हक दिया गया। इस कानून को बहुत सीमित दायरे में ही रखा गया। इसका लाभ केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को ही मिल पाया।

सामाजिक सुरक्षा कानून, 2008 – असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कानून, 2008 में यह प्रावधान किया गया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के मातृत्व हक दिए जायेंगे; परन्तु अब तक इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बनी है।

क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 बच्चों और महिलाओं के हकों के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात करता है ?

बिलकुल; यह कानून महिलाओं और बच्चों के हकों को विस्तार तो देता ही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बच्चों और महिलाओं के पोषण – मातृत्व हकों को शामिल किया गया है। अब एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आंगनवाड़ी से मिलने वाली सेवाएं) में से पोषण आहार (बच्चों और महिलाओं के लिए) और कुपोषित बच्चों की पहचान इस कानून में दर्ज हैं। यानी हर महिला और हर बच्चे को पोषण का हक है। इसके साथ ही महिलाओं, खास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र में हैं या परिवार का काम करती हैं, को अब कानूनी रूप से मातृत्व हक देने की पहल हुई है।

इस कानून में 6 माह तक के बच्चों के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना करना होगी। जिसमें – महिलाओं की पहचान और पंजीयन, काम से अवकाश और निश्चित समय के अवकाश के दौरान मजदूरी के भुगतान (जैसे अभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में है) का प्रावधान और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था किया जाना जरूरी होगा। केवल आर्थिक सहयोग, केवल पोषण आहार या केवल परामर्श सेवाओं से मातृत्व हक सुनिश्चित नहीं किये जा सकते हैं। सिद्धान्तत: हमें यह मानना होगा कि इन समग्र मातृत्व हकों से ही महिलाओं और नवजात शिशुओं के सम्मानजनक जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा।

वास्तव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ऐसा पहला कानून है जो सबसे कम वर्गीकरण और शर्तों के साथ मातृत्व हक का प्रावधान करता है। इस कानून के मुताबिक जिन महिलाओं को किन्हीं अन्य नियमों, कानून और व्यवस्था के तहत मातृत्व हक मिलते हैं (जैसे सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम आदि में), उन्हें छोड़ कर सभी महिलायें मातृत्व हक पाएंगी। वर्तमान में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लागू है, जो कि देश के 52 जिलों में एक प्रयोग कार्यक्रम के रूप में चल रही है। इस योजना का विस्तार पूरे देश में किये जाने की जरूरत है।

इस कानून के तहत पोषण और मातृत्व हकों को लागू करके के लिए राज्य सरकारें नियम बनाने के लिए अधिकृत हैं। यदि राज्य सरकारें चाहें तो उन्हें पोषण और मातृत्व हकों का दायरा / राशि और सुविधाएं बढ़ाने का पूरा अधिकार है।

क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं ?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इन हकों को व्यापक तौर पर तीन रूपों में शामिल किया गया है –

(1) हर बच्चे का पोषण का अधिकार।

(2) हर गर्भवती (गर्भवती और धात्री) के पोषण का अधिकार।

(3) मातृत्व हक (कुछ खास शर्तों के अधीन कुछ महिलाओं को छोड़ कर सभी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में)।

इस कानून के मुताबिक –

- प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान करने वाली माता को गर्भावस्था के पूरे समय और शिशु जन्म के पश्चात के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन का हक मिलना।
- प्रत्येक गर्भवती धात्री महिला को कम से कम छह हजार रुपए का मातृत्व हक किश्तों में देना; उन्हें छोड़ कर जिन्हें किसी अन्य व्यवस्था से इस तरह का लाभ मिलता है।
- छह माह से छह वर्ष की उम्र के बच्चों को स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क आयु के अनुसार समुचित भोजन का हकदार बनाना।
- गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करना, उन्हें स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से तय मानकों के हिसाब से नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाना।

जब इतने सारे कानून, नीतियां और कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं; तो अब क्या करना बाकी है ?

- **सबसे पहली बात** तो यह कि हमारे यहाँ कानून और कार्यक्रमों की संख्या तो बहुत ज्यादा है किन्तु फिर भी स्थिति बदलती नहीं है। कारण ? इसका कारण यह है कि बच्चों और महिलाओं के हकों से सम्बन्धित कानूनों में एकरूपता और व्यापकता नहीं है। एक कानून 20 बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास केंद्र की बात करता है, तो दूसरा 50 बच्चों पर और तीसरा कहता है कि 5 बच्चों को छाँव में बिठा दो, बस हो गयी देखभाल। जरूरत है सभी कानून को जोड़कर एक व्यापक और स्पष्ट कानून की।
- **दूसरी बात** यह है कि सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच के भेद को मिटाने की कोई प्रतिबद्ध पहल नहीं की है। नयी आर्थिक नीतियां तो संकट और ज्यादा बढ़ा रही हैं। जरूरत है कि असंगठित क्षेत्र को भी बराबरी का हक मिले।
- **तीसरी बात** यह है कि अपने घरों को बनाने और चलाने वाली महिलाओं को भी श्रमशील माना जाना जरूरी है ताकि उनके काम और योगदान को मान्यता मिल सके। और उन्हें भी देखरेख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में समाज और सरकार से सहयोग मिले।
- **चौथी बात** यह कि अब काम और श्रम को फिर से परिभाषित करने की जरुरत है। इसके साथ ही काम का बंटवारा भी नये सिरे से होना चाहिए, जो समाज में समानता लाने का आधार बने।
- **पांचवी बात** यह कि मातृत्व हकों और बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास को संवैधानिक अधिकार का रूप दिया जाना चाहिए; जब तक ऐसा नहीं होगा, अन्य सभी मौलिक अधिकार पूरी तरह से हासिल न किये जा सकेंगे।
- **छठी बात** यह है कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास के लिए व्यवस्था बनाने के लिए सरकार यह स्पष्ट करे कि इस काम के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जायेंगे। उन्हें सम्मानजनक वेतन (मानदेय या प्रोत्साहन राशि नहीं) देने की व्यवस्था की जायेगी।
- **सातवीं बात** यह है कि महिलाओं के सामने कई तरह की जिम्मेदारियां और कामों (घर और परिवार के काम, आय अर्जन के लिए काम, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार परिजनों की देखभाल, सामाजिक रिश्तों से जुड़े काम आदि) होती हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि झूलाघर / क्रेच के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इससे तीन साल तक की उम्र के बच्चों को जरूरी सेवाएं मिल सकेंगी।
- **आठवीं बात** यह है कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और विकास और मातृत्व हकों से सम्बंधित कानूनों / नीतियों और कार्यक्रमों में प्रभावी, जवाबदेय और स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना की जाए।

यह भारत की राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित सड़कों में से एक लोधी रोड की तस्वीर है। शहर में विकास का काम हो रहा है। देश के हर कोने से लोग – आदमी, औरतें और बच्चे, इस शहर के विकास में अपने लिए भोजन और आसरा खोजने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके अपने शहरों, बस्तियों और गाँवों में उन्हें ये नहीं मिल रहे हैं।

और जब वे दिल्ली पहुंच जाते हैं, तब बच्चों को क्या मिलता है?

एक महिला जब मजदूरी कर रही होती है, तो उसे अपने बच्चे की देखभाल करने का हक नहीं होता है। बच्चे को भी यह हक नहीं कि उसकी सही और अच्छी संभाल हो। क्या हमारे विकास में कोई मानवीय मूल्य और संवेदनाएं हैं?

तब क्या रास्ता निकलता है? बच्चे के पैर को एक बड़े पत्थर से रस्सी से बाँध दिया गया, ताकि वह कहीं न जाए। कहीं न जाने का मतलब है वह गतिशील न हो सके, खुल कर खेल न सके। क्या बच्चे की सुरक्षा का मतलब यही है?

उस माँ के पास निश्चित रूप से यह जीवन का आखिरी विकल्प ही रहा होगा! क्योंकि मां कामकाजी है और बच्चे के लिए वहां प्रारंभिक देखरेख और विकास केंद्र की व्यवस्था ही नहीं है। माँ किस पर विश्वास करे, उसे तो मजदूरी करना है, ताकि वह थोड़ी मजदूरी कमा सके।

क्या हम बच्चों को प्रारंभिक देखरेख और विकास का हक देने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं? यदि नहीं; तो मान लीजिए कि हमारी सभी संवेदनाएं मर चुकी हैं!

(यह कोई बनावटी चित्र नहीं है। यह चित्र किसी असभ्य समाज का चित्र भी नहीं है। यह चित्र शैलेन्द्र उनियाल ने खींचा और टाइम्स आफ इंडिया ने 9 सितम्बर 2015 को दिल्ली संस्करण में छापा।)

विकास संवाद द्वारा प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के लिए साझा मंच (अलायंस फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट) के लिए प्रकाशित

98267 20777